सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यू

द्वितीय सम्मेलन

साधारण रिपोर्ट

पी० राममूर्ति
महासचिव सी० आई० टी० यू०

अझिक्कोडन राघवन नगर, एर्नाकुलम
१८-२२ अप्रैल १९७३

महासचिव
की
रिपोर्ट

साथियो,

मई १९७० में कलकत्ता में जो हमारा गत सम्मेलन हुआ था तब से जो तीन वर्ष का समय गुजरनेवाला है, यह समय गणतन्त्र और समाजवाद की शक्तियों की महत्वपूर्ण प्रगति के साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटना-पूर्ण रहा है।

चीन का राष्ट्रसंघ में प्रवेश—चीन को अलग रखने की अमरीकी नीति की पराजय

अमरीका की चीन को विच्छिन्न और घेरकर रखने की नीति टाँय-टाँय फिस हो गई है। जनवादी चीन ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में अपना अधिकारपूर्ण स्थान ले लिया है और च्यांगकाई शेक गुट द्वारा चीन का प्रतिनिधित्व करने का छल-छद्म समाप्त हो गया है।

और भी, निक्सन को पेकिंग दौड़ कर जाना पड़ा और बाद में दोनों देशों में तथ्यतः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना स्वीकार करना पड़ा।

वियतनामी जनता की विजय

इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना वियतनाम पर अमरीकी आक्रामक युद्ध का अंत है। यहाँ तक कि अमरीकी वायुसेना की प्रायः आणविक बमबाजी के करीब पहुँचनेवाली बमबाजी भी वियतनाम के बहादुर लोगों को

भयभीत न कर सकी। और विश्व जनमत से विच्छिन्न निक्सन को स्वयं अमरीका में बढ़ते हुए जनमत के सम्मुख युद्ध को रोकना पड़ा।

वियतनाम के लोगों को निश्चय ही समाजवादी देशों से, सर्वोपरि रूस और चीन से, प्रचुर मात्रा में अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य सामानों के रूप में सहायता मिली थी। फिर भी, अगर ये दोनों विशाल समाजवादी देश एक होते और साम्राज्यवादी अमरीका के विरुद्ध, जब समाजवादी देश समूह का एक सदस्य आक्रमण का शिकार बना था, निर्भीक कदम उठाये होते तो अनेक अकथनीय कष्ट और बलिदान से बचा जा सकता था।

संधि की शर्तों में यह व्यवस्था है कि अमरीकी और अन्य विदेशी सेनायें दक्षिण वियतनाम से हटा ली जायेंगी, सैनिक संस्थान समाप्त कर दिये जायेंगे। दक्षिण वियतनाम की कार्यवाहक क्रान्तिकारी सरकार को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और उसका अपने अधीनक्षेत्रों पर अधिकार रहेगा। उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच स्थित रेखा के पुनः अस्थायी माना गया है और देश का एकीकरण जनता की इच्छा के अनुसार होगा। कार्यवाहक क्रान्तिकारी सरकार, सैगोन की सरकार, और तटस्थ शक्तियों को मिलाकर गठित नेशनल कौंसिल ऑफ रीकन्सिलियेशन, जिसका निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर होगा, दक्षिण वियतनाम में जनतांत्रिक चुनाव कराने की तैयारी करायेगा। विदेशों से सेना, हथियार, और युद्ध सामग्रियों को दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश पाने की अनुमति नहीं दी जायगी। नागरिक बन्दियों और युद्ध बन्दियों को रिहा किया जायगा। निरीक्षण करने के लिये एक इन्टरनेशनल सुपरवाइजरी फोर्स होगी।

निश्चय ही यह वियतनाम की जनता के लिये, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय लिखा है, एक महान विजय है। अगर ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाय तो ये शर्तें दक्षिण वियतनाम में जनतांत्रिक सरकार को सुनिश्चित करेंगी जो एक संयुक्त समाजवादी वियतनाम के लिये मार्ग प्रशस्त करेंगी।

साम्राज्यवादी अमरीका अभी भी षड्यन्त्र रच रहा है

जो भी हो, साम्राज्यवादी अमरीका से, जिसने एक बार पहले सन् १९५४ में हुये जिनेवा समझौते को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था और वियतनाम के विरुद्ध अत्यन्त बर्बर युद्ध छेड़ा था, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शर्तों

का पालन करेगा। उन्होंने पहले ही अपनी कठपुतली थियू के मारफत संधि का उल्लंघन प्रारम्भ कर दिया है।

साम्राज्यवादी अमरीका की इस विश्वासघाती चाल को समाजवादी देशों और विश्व के जनतांत्रिक जनमत को सतर्कतामूलक कार्रवाई द्वारा असफल कर देना चाहिये।

सी० आई० टी० यू० वियतनाम की बहादुर जनता को इस भयंकर साम्राज्यवादी पर शानदार विजय प्राप्त करने के लिये बधाई देता है। वह भारतीय मजदूर वर्ग को आह्वान करता है कि वह सतर्कता बरते और साम्राज्यवादी अमरीका द्वारा खुद किये गये वादों से पीछे हटने और दक्षिणी वियतनाम को एक लम्बे गृहयुद्ध में उलझाये रखने के सारे प्रयत्नों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करे। यह दो समाजवादी देशों रूस और चीन से अनुरोध करता है कि वे अपने मतभेदों को मिटायें और अमरीका के षड्यन्त्रों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करे।

बंगलादेश का जन्म

दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही का जुआ फेंक कर बंगलादेश का एक सार्वभौम स्वतन्त्र देश के रूप में उदय है। इसने स्वतः पाकिस्तान में सैनिक हुकूमत का पतन कराया है तथा पाकिस्तान और बंगलादेश दोनों में जनतांत्रिक शक्तियों को उभारा है।

फिर भी साम्राज्यवादी अमरीका ने, जिसने बंगला देश में याह्या खाँ शासन द्वारा संचालित की गयी क्रूरता और स्वतन्त्रता संग्राम को नष्ट कर देने के प्रयत्न का समर्थन किया था, बंगलादेश से अपने सम्बन्ध सुधारने में जरा भी विलम्ब नहीं किया, और उसकी तहस-नहस अर्थव्यवस्था के सुधार के लिये सहायता का आवरण ओढ़ और उसके विकास में सहयोग करने के बहाने बड़े पैमाने पर बंगलादेश में प्रवेश किया। यह जानते हुये कि (अमरीकी सहायता) का क्या अर्थ है जनवादी शक्तियों को अमरीकी षड्यन्त्रों को विफल करने के लिये अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।

बंगलादेश और पाकिस्तान की गणतांत्रिक शक्तियाँ बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रही हैं और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के आक्रमण को निरन्तर झेल रही हैं।

भारतीय मजदूर वर्ग इन शक्तियों के ऊपर इन आक्रमणों का मूकदर्शक नहीं बन सकता और उसे उनका साथ देना होगा।

युद्धबन्दियों को छोड़ो

प्रतिक्रियावादी जिस एक विषय को पाकिस्तान की जनतांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ने में उपयोग कर रहे हैं, वह है भारत में रोके गये ८० हजार पाकिस्तानी युद्धबन्दी। सी० आई० टी० यू० भारत की सरकार से यह मांग करता है कि इस समस्या का हल शीघ्र हो ताकि उन बन्दियों की जिनकी जरूरत युद्ध अपराध के लिये मुकदमा चलाये जाने के लिये है, अलावा बाकी युद्ध बन्दी अपने घरों को वापस कर दिये जांय जिससे वे अपने सम्बन्धियों से मिल सकें। सी० आई० टी० यू० यह भी मांग करता है कि बंगलादेश के नागरिक शरणार्थी जो पाकिस्तान में फँस गये हैं उन्हें बंगलादेश वापस भेज दिया जाय।

पकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता भुट्टो और मुजीबुर्रहमान के बीच वार्ता के पहले या बाद में मिले, इस प्रश्न के कारण इस समस्या के समाधान में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

डालर संकट

साथियों। समय का वह अन्तराल जो बीता है, उसने विश्व पूंजीवादी संकट को घनीभूत होते देखा है। इसकी सबसे तीव्र अभिव्यक्ति मुद्रा संकट है। डालर, जो विश्वयुद्ध के बाद विश्व मुद्रा के रूप में स्थापित हुआ था अब उसकी महत्ता नहीं रही। पिछले युद्ध की समाप्ति पर साम्राज्यवादियों ने ब्रेटेनउड्स में जो समझौता किया था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अमरीका की मर्जी के विरुद्ध चौदह महीनों के अन्दर डालर का दस प्रतिशत अवमूल्यन हुआ तो भी मुद्रा संकट का समाधान नजर नहीं आता।

यह स्थान इस संकट के विश्लेषण के लिये नहीं है। लोगों के लिये केवल यह जान लेना ही पर्याप्त है कि यह संकट विश्वबाजार में अमरीका के शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी के रूप में पश्चिम जर्मनी और जापान जैसे दूसरे साम्राज्यवादी देशों के उदय होने का परिणाम है।

यूरोपीय साझाबाजार ब्रिटेन के प्रवेश से अमरीका को शह देते हुए सबसे बड़ा आर्थिक गुट बन गया है। इस गुट की शक्ति को इस बात से जाना जा सकता है कि इसकी १९७१ की १७१ अरब डालर की राशि का आयात अमरीका के ४६ अरब और जापान के २० अरब—दोनों के सम्मिलित आयात के दुगुने से अधिक है। इसका ३१२ अरब डालर का निर्यात अमरीका के ४३

अरब और जापान के २४ अरब डालर के सम्मिलित निर्यात् के चौगुने से ज्यादा था।

साम्राज्यवादियों में व्यापारिक युद्ध

रूस और विश्व के अन्य समाजवादी देशों के बढ़ते हुये प्रभाव के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में अमरीका के प्रोत्साहन से जिस यूरोपीय साझाबाजार का गठन हुआ था वह आज अपनी व्यापारिक बाधाओं के साथ अमरीका के व्यापार और पूंजी विनियोग के विकास के मार्ग में सबसे अधिक बाधक के रूप में उपस्थित है। जापान और यूरोपीय साझाबाजार के बीच और यूरोपीय साझा बाजार और अमरीका के बीच, जापान, अमरीका और यूरोपीय साझाबाजार के बीच आपसी विरोध तीव्र हो गया है। व्यापारिक युद्ध शुरू है।

अमरीका की यह मांग है कि उसके संकट का समाधान यूरोपीय साझा बाजार और जापान के मत्थे किया जाय। इसकी मांग है कि येन का पुनर्मूल्यन हो अन्यथा वह धमकाता है कि अमरीका में जापानी माल के के आयात के खिलाफ टैरिफ की दीवाल खड़ी कर देगा। यह यूरोपीय साझा बाजार के देशों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने अमरीका की रक्षा नहीं की तो वह उन देशों से अपनी सैनिक शक्ति हटा लेगा दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में डालकर ही अमरीका की मांग की पूर्ति कर सकते हैं।

वे लोग कोई सम्मिलित कदम उठाने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर, अगर एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये कोई कदम उठाता है तो इसके परिणाम स्वरूप सबसे बड़े देश अमरीका की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है।

मजदूर वर्ग का बढ़ता संघर्ष

इस संकट का तीव्र होना विकसित पूंजीवादी देशों में बढ़ते हुए हड़ताल और संघर्ष के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

विकसित पूंजीवादी देशों में हड़ताली मजदूरों की संख्या

१९६७	३ करोड़
१९६८	४ करोड़ तीस लाख
१९६९	४ करोड़ चालीस लाख
१९७०	४ करोड़ पचास लाख
१९७१	४ करोड़ अस्सी लाख

प्रत्येक देश ने अत्यन्त कठोर और लम्बी हड़तालें तथा संघर्ष देखे हैं; इन सब स्मरणीय हड़ताल ब्रिटेन में स्थित क्लाइड के शिपयार्ड मजदूरों की है जो जहाज निर्माता कम्पनी को बन्द करने के प्रयत्न के विरुद्ध थी और जो आठ महीने तक चलती रही। किन्तु सरकार को उस यार्ड को चालू रखना पड़ा था। ब्रिटेन में अगस्त तक काम के नष्ट हुए दिनों की संख्या १ करोड़ ५० लाख थी जब कि पूरे १९७१ में यह संख्या १ करोड़ ३० लाख थी।

'कम्बैट' नामक एक बुर्जुआ दैनिक ने मजदूरों की हालत और उसके संघर्षों पर टिप्पणी करते हुये लिखा था "बेकारी बढ़ रही है, मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं, और वर्ग शत्रुता दिन पर दिन तेज होती जा रही है।"

इसी के परिणामस्वरूप फ्रांस में कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों का संयुक्त मोर्चा गठित हुआ था और हाल के चुनावों में शासक दल ने १०० सीटें हारी थीं। किन्तु चुनाव पद्धति की कारस्तानियों के बिना शासक, दगाल पार्टी सत्तारूढ़ नहीं हो सकती थी।

पूंजीवादी संकट में मजदूर वर्ग के बढ़ते हुये संघर्षों के यह माकूल दृष्टान्त हैं। वहां मजदूर वर्ग इजेरदारों के शोषण का मुकाबला कर रहे हैं, क्यों कि पूंजीवादी संकट तीव्र होता जा रहा है। मैं इस रिपोर्ट को प्रत्येक देश के संघर्ष के विवरण से बोझिल नहीं करना चाहता।

भारत की आर्थिक स्थिति

साथियो !

मई १९७० में हुये सी० आई० टी० यू० के स्थापना सम्मेलन में मैंने अपनी रिपोर्ट में बतलाया था कि विकास का पूंजीवादी पथ जिसे हमारे शासकों ने कृषि में सामन्ती सम्बन्धों को बिना विनष्ट किये ही अपनाया और वे साम्राज्यवादी मदद, विदेशी इजारेदारों के साथ साझेदारी समझते पर निर्भर किया जिससे देश "आर्थिक संकट के कीचड़ में फंस गया। हमारा देश समृद्धशाली और औद्योगिक होने के बदले प्रतिवर्ष सहायता पर निर्भर हो गया। विदेशी मुद्रा की कमी प्रतिवर्ष बढ़ी है। यहां तक कि जीवन रक्षा के लिये आयात के लिये भी देश को बढ़ती हुई विदेशी सहायता खासकर अमरीकी सहायता पर निर्भर करना पड़ता है।"

मैंने और भी बताया था कि "बजट और चौथी योजना दोनों यह बताते हैं कि मुद्रास्फोति, बढ़ती हुई कीमत, उपभोक्ता सामग्रियों पर ऊँचे कर से मजदूर वर्ग और जनता को चूस लिया जायगा।"

तब और अब के बीच की अवधि में हुई घटनायें उस मूल्यांकन की शुद्धता के पूर्णरूपेण सही प्रमाणित करती हैं। एक के बाद एक बजट ने अप्रत्यक्ष करके प्रचंड बोझ को लाद दिया है। साथ ही भारी मात्रा में घाटा के बजट का बोझ भी।

मूल्यवृद्धि

परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति सरपट चाल से बढ़ रही। सभी उपभोक्ता सामग्रियों का मूल्य अभूतपूर्व दर से बढ़ा है।

सन् १९७२ में सभी प्रकार की सामग्रियों के मूल्य में १२% की वृद्धि और खाद्यानों में १५% की वृद्धि के सरकारी आंकड़े सही मूल्यवृद्धि की सीमा को छिपाने का जानबूझ कर प्रयत्न है। केवल गतवर्ष के दरम्यान ही खुदरा बाजार में गेहूं का मूल्य ८० पैसे किलो से बढ़कर १·५० हो गया; चावल दो रुपये से तीन रुपये यहाँ तक कि ३·५० प्रति किलो भी; तेल की कीमत ५ रु० से बढ़ कर ७·५० प्रति किलो हो गई है। चीनी २·२० रु० प्रतिकिलो से बढ़ कर ४ प्रतिकिलो हो गई है। देश के अनेक भागों में किरासन २-५०रु० प्रति लीटर के हिसाब से अप्राप्य है। जबकि सरकारी मूल्य केवल ७० पैसे हैं। दाल का मूल्य भी उसी तेजी से बढ़ा है। तो भी सरकार यह दावा करती है कि मूल्यों में केवल १२% की ही वृद्धि हुई है। विकास के नाम पर जनता के रक्त शोषण के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक सफलता क्या है? न तो उद्योग न कृषि ही विकसित हुई, केवल गरीब और बेकारी बढ़ी।

अर्थमंत्री ने स्वीकार किया है कि १९७०-७१ में आर्थिक विकास की दर भ्रामक सिद्ध हुई है। उनकी भविष्यवाणी, कि ७१-७२ की अवधि अच्छी होगी, गलत सिद्ध हुई। वृद्धि दर ३% से ३·५% तक ही सीमित रहा।

१९७२-७३ घनघोर संकट का वर्ष

१९७२-७३ ने घनघोर संकट देखा है और हम आज भी उसीसे गुजर रहे हैं।

बुरी तरह अमरीकी सहायता पर निर्भर होने का परिणाम, तब प्रत्यक्ष हुआ जब अमरीका ने बंगलादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ अल्प

कालीन युद्ध के पश्चात सभी तरह की सहायता बन्द कर दी। बहुतों से उद्योगों को पुर्जों की कमी के कारण बन्द कर देना पड़ा। जिन पुर्जों को विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अमरीका से नहीं मंगाया जा सका।

देशव्यापी बिजली की कमी के कारण संगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योगों में लाखों मजदूर बैठ गये, अनेक सूता कल के मजदूर बेकार हो गये। उसने हजारों लाखों किसानों, जो सिचाई के लिये बिजली पर निर्भर करते हैं, और खेत मजदूरों को, जो इन खेतों पर निर्भर करते हैं, प्रभावित किया। यह इस संकट की गम्भीरता को सामने लाता है साथ ही विदेशी इजारेदारों के साथ साझेदारी और विदेशी सहायता से योजना बनाने के दिवालियेपन को भी स्पष्ट करता है।

चौथी योजना में २२-७७ मिलियन किलोवाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के बावजूद वास्तविक उत्पादन केवल १४·७१ मिलियन किलोवाट हुआ। यानी ३५% की कमी हुई।

साझेदारी और सहायता का मूल्य

लक्ष्य प्राप्ति में असफलता का सही कारण विदेशों से जनरेटर हैवी ब्वायलर और दूसरे साजसमान के आयात परनिर्भरता है। अत्यधिक लागत के साथ भोपाल में हैवी एलेक्ट्रिकल्स और त्रिची में भारत हैवी ब्यालर्स की की स्थापना के पश्चात भी पार्लियामेन्ट्री कमेटी आन पब्लिक अन्डरटेकिंग ने १९६८-६९ में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनकी उत्पादनक्षमता का १५% ही उपयोग किया गया। ८५% क्षमता बेकार पड़ी रही। ये संस्थान विस्तारित नहीं किये गये हैं। ११० मेगावट जनरेटर से बड़े जनरेटरों के निर्माण के लिये अनुसंधान और डिजाइनों का कार्य नहीं किया गया। जब कि नई विद्युत योजनाओं के लिये १३० और २६० मेगावाट के जेनटरों की आवश्यकता है। इस प्रकार की नीतियों से परनिर्भरता किस प्रकार दूर की जा सकती है। मैंने पहले ही कोयम्बटूर में १९७१ के मई महीने में जनरल कौंसिल की मीटिंग में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सरकारी संस्थानों में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार, जो ठेकेदारों के सहयोग से होता है, मुजरिमाना सुरक्षा सम्बन्धी आसावधानी और निम्नकोटि के कोयले के व्यवहार के एक बारे में कहा है। इन सब ने मिलकर देश को भयंकर जाल में डाल दिया है।

विद्युत संकट इस बात का केवल एक दृष्टान्त है कि देश को विदेशी सहायता और विदेशी इजारेदारों पर अपनी निर्भरता के कारण क्या मूल्य चुकाना पड़ा है ? देश ने विदेशी साझेदारी पर निर्भर करने के बिनाशकारी प्रभाव, विलम्ब, उत्पादन को क्षति, पुरानी मशीनरी के उपयोग आदि का अनुभव किया है। यह सभी दुर्गापुर स्टील, दुर्गापुर एलाय स्टील, राउरकेला, कोचीन आयल रिफाइनरीज, दुर्गापुर फर्टइलाइजर प्लान्ट और अनेकों प्रोजेक्ट्स में दिखाई दिये। मैं कोयम्बटूर में हुई जनरल कौंसिल की मीटिंग के अवसर पर अपनी रिपोर्ट में सविस्तार उनका वर्णन कर चुका हूँ।

और भी, इन विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ, तकनीकी जानकारी का मूल्य और रायल्टी के रूप में बहुत लूट की जा रही है। एक उदाहरण लीजिये, विदेशी तेल कम्पनियों ने अकेले १९७१ में अपने लाभ को ३१ करोड़ से १९७२ में ४२ करोड़ कर लिया। एक रबर फैक्टरी ने नाममात्र की पूंजी लगाकर लाभ के रूप में करोड़ों रुपये बाहर भेजे हैं।

इजारेदारों की बढ़ोत्तरी

जब उद्योग ठप्प पड़ा हुआ है और जनता का कष्ट बढ़ रहा है, बड़े इजारेदरों को लाभ बढ़ता जा रहा है। १९७०-७१ में १९० कम्पनियों द्वारा पूंजीविनियोजन और बचत, जो कुल विनियोजित पूंजी का ७५% है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अध्ययन पर टिप्पणी करते हुये दि इकनामिक-टाइम्स (१३ जून १९७२) का इस विषय पर निम्नलिखित कथन है "अगर एक बात कही जाय तो अध्ययन से यह मालूम होता है कि सामग्री, मशीनरी (कलपुर्जे) आदि की कमी ने आर्थिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डाला है .....१९६९-७० की आनुमानित कुल बचत जो ५२९ करोड़ रूपये थी, १९७०-७१ में बढ़कर ६२२ करोड़ हो गई; शुद्ध बचत में १७४ करोड़ रुपये से २३७ करोड़ रुपये हो गई है ..... खास करके जब इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि १९७०-७१ का साल उद्योग के लिए अत्यन्त अनुकूल वर्ष नहीं माना गया था और जब श्रम और दूसरी रुकावट पैदा करनेवाली बातें ने विकास की गति को रोका, यह एक आनन्ददायक आश्चर्य की बात है कि उद्योग क्षेत्र की कुल बचत करीब ८०% बढ़ी और शुद्ध बचत इसकी दुगुनी बढ़ी।"

क्या आश्चर्य है कि इस समूची अवधि में इजारेदार मोटे हुए ? क्या यह आकस्मिक है कि इस तरह की नीति से आर्थिक प्रगति क्षयनीय

३·५०% हुई और औसतन प्रति व्यक्ति की आमदनी करीब-करीब स्थिर रही और गरीबी की सीमा के नीचे के लोगों के प्रतिशत में विशाल वृद्धि हुई है।

बजट में सरकारी नीति का दिवालियापन

अर्थमंत्री द्वारा इस वर्ष फरवरी महीने में १९७३-७४ के लिये प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा ऐसी नीति अपनाने की असमर्थता को स्पष्ट करता है जिससे देश को वर्त्तमान गहरे संकट से निकाल जा सके और औद्योगिक कार्य में तीव्रता लाई जा सके।

केन्द्रीय योजना के लिये निश्चित की गई रकम १६७४ करोड़ रुपये है जब कि गत वर्ष के बजट में यह रकम १७८७ रुपये थी; यह कमी १०३ करोड़ रुपये या ७% है। अगर सरकार द्वारा स्वीकार किये गये १५% की मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा जाय तो वास्तविक रूप में कटौती और १६० करोड़ रुपये होगी। यानी कुल कटौती १५% की होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में लगने वाली सरकार द्वारा प्रस्तावित पूंजी जो औद्योगिक विकास के लिये, जैसे हैवी इन्डस्ट्री, पेट्रोलियम और केमिकल्स इस्पात और खान तथा औद्योगिक विकास के लिये अत्यावश्यक है, केवल ४८८ करोड़ रुपये है जब कि १९७२-७३ के लिये यह रकम ६०२ करोड़ रुपये थी। अर्थात करीब २०% की कटौती हुई।

सामाजिक न्याय के प्रति मौखिक सहानुभूति के रूप में बच्चों के लिये न्यूट्रीशन प्रोग्राम, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई, औद्योगिक मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम आदि के लिये १२५ करोड़ रुपये निर्धारित हैं। किन्तु यह रकम उतनी ही है जितनी यह पिछले वर्ष थी। १९७२-७३ में चीजों के दाम बढ़ने के कारण यह रकम गतवर्ष की निर्धारित रकम से १५% कम है।

फिर "नये प्रोग्राम, जो विभिन्न क्षेत्रों में ५ लाख शिक्षित बेकारों के लिये काम देने का अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही साथ टिकाऊ पूंजी निर्माण करने में सहायक होंगे, के लिये १०० करोड़ रुपये निर्धारित हैं, ये क्षेत्र क्या हैं इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यह श्री चह्वान का कथन है कि प्रति काम पर २००० रु० की लागत से ५ लाख काम दे सकते हैं, किन्तु किस प्रकार के उद्योगों में इसे केवल भगवान ही जानता है। इस प्रकार योजना को केवल गणित का रूप दे दिया गया है। शासकों

का इस प्रकार का दिवालियापन स्पष्ट है। १९७२-७३ में २५० करोड़ रुपये घाटे के बजट की जो व्यवस्था की गई थी अब उसे अर्थमंत्री कहते हैं कि यह आर्थिक घाटे की रकम वास्तव में ५५० करोड़ रुपये की है। वास्तव में सही घाटे की रकम लेखा सम्बन्धी जादू से छिपा दिया गया है।

कर की चोरी करनेवालो के लिये स्वर्ग

ऐसा माना गया है कि औद्योगिक उत्पादन में ७% की वृद्धि हुई है और तैयारी माल की कीमत में वृद्धि, जैसा सरकार ने स्वीकार किया है, कम से कम ६% की हुई है। इससे इक्साइजडियूटी के रूप में अधिक रकम मिलने में सहायता होनी चाहिये थी पर वास्तव में उनमें गिरावट आई है। स्पष्टतः टैक्स न देने वालों के लिये यह स्वर्णयुग है।

जब कीमत बढ़ रही है और बेकारी भी बढ़ रही है तो इससे यह स्पष्ट है कि आमदनी का अधिकांश भाग अधिक समृद्ध वर्ग के लोगों के हाथ लग रहा है, जिनपर इनकमटैक्स लगाया जा सकता है। तो भी अर्थमंत्री इस साधन से प्राप्त होनेवाली रकम का अन्दाज केवल ४९ करोड़ रुपये लगाते हैं। स्पष्टतः सरकार यह मान लेती है कि अधिक टैक्स से उसी प्रकार बचा जायगा जिस प्रकार इक्साइजडियूटी से। इस प्रकार बजट और अधिक काले धन के निर्माण करने का प्रबन्ध करता है।

क्रुद्ध जनता के मिजाज को शान्त करने के लिये अर्थमंत्री इस बात का दम्भ भरते हैं कि इस वर्ष बजट में घाटे की रकम केवल ८५ करोड़ रुपये होगी। किन्तु बाद में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि जब सेन्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होगी तो यह घाटे की रकम बढ़कर २५० करोड़ रूपये से अधिक हो जायगी।

विगत २२ वर्षों की योजना के अनुभव के आधार पर, खास कर के गतवर्ष, यानी १९७२-७३ के अनुभव के आधार पर और बजट के बाद मूल्यों में बढ़ोत्तरी होते रहने पर क्या कोई इस पर विश्वास कर सकता है? विकास की निर्धारित सीमा के लक्ष्य तक पहुँचने में सफलता निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आम जनता के जीवन स्तर पर और आक्रमण तथा और अधिक बेकारी बढ़ेगी।

इन्दिरा गांधी की कथनी और करनी

साथियो !

गत २ वर्षों के घटनाक्रम से क्या मालूम पड़ता है ? हमारे गत सम्मेलन के बाद ६ महीने के अन्दर इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट भंग कर और 'गरीबी हटाओ' और 'बेकारी हटाओ' के नारे देकर चुनाव कराया। उन्होंने 'मारवाड़ी' और 'गुजराती' इजारेदारों के विरुद्ध गरजते हुए कहा कि इन्होंने देश को और आम जनता को तबाह किया और इन इजारेदारों के विरुद्ध लड़ाई करने की सच्चाई पूर्ण निश्चय के उदाहरणस्वरूप बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दृष्टान्त सामने रखा। उन्होंने कहा कि चूँकि अब उसने मुरारजी, अतुल्य घोष, एस० के० पाटिल और निजलिंगप्पा से पिंड छुड़ा लिया है, इजारेदारों के विरुद्ध लड़ने की प्रगतिशील नीति के लागू करने में उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं को हटा दिया गया है।

शीघ्र विश्वास कर लेनेवाली जनता ने उनके लुभावने नारे का विश्वास किया और चुनाव में उनको भारी बहुतमत में विजयी बनाया। फिर भी उनके शासन का फल वही हुआ जैसा पहले हम देख चुके हैं। वास्तव में राज्य सभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उसके शासन के दो वर्षों के दरम्यान टाटा ने अपनी सम्पत्ति ५०५ करोड़ रुपये से ६३८ करोड़ रुपये कर लिये और बिड़लाने ४५९ करोड़ रुपये से ६३० करोड़ रुपये कर लिये। अन्य इजारेदारों की सम्पत्ति में वृद्धि खूब हुई है। मफतलाल की तरह उनमें से कुछ ने अपनी सम्पत्ति दूनी कर ली है।

मैंने स्थापना सम्मेलन और कोयम्बटूर में जनरल कौंसिल की मीटिंग में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कृषि में हरीक्रान्ति का वर्णन किया है और बताया है किस प्रकार इससे ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन्दारों और ग्रामीण धनवानों के हाथ में धन का संचय हुआ है। गत २ वर्षों में खाद्यानों की मूल्यवृद्धि ने उनकी स्थिति को और अधिक मजबूत कर दिया है जब कि गाँव की गरीब जनता और गरीब हुई है।

बैंक राष्ट्रीयकरण—एक वामपन्थी कपट-प्रबन्ध

इस प्रकार घटनाक्रम की वास्तविकतायें यह प्रदर्शित करती हैं कि इन्दिरा कांग्रेस सरकार की नीतियाँ संयुक्त कांग्रेस की नीतियों से भिन्न नहीं है। बैंक राष्ट्रीयकरण या आम बीमा के राष्ट्रीयकरण का अर्थ १५ वर्ष पूर्व किये गये

इम्पिरियल बैंक तथा जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की ही भाँति, इजारेदारों पर आघात नहीं था जैसा कि हमारे ए० आई० टी० यू० सी० के मित्र इस कदम को इजारेदारों पर आघात बताते हैं। वे अब भी इजारेदारों की सेवा उसी पैमाने पर कर रहे हैं जिस पैमाने पर पहले करते थे।

इन्दिरा कांग्रेस सरकार की नीतियों की कसौटी उसकी करनी है कथनी नहीं। एक अन्धा भी इस बात को जान सकता है कि सन् १९६७ और १९६९ में पश्चिम बंगाल और केरल में गठित संयुक्तमोर्चा सरकारों की नीतियों से प्रोत्साहित होकर कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरुद्ध छेड़े गये जन-संघर्ष के उठते हुए ज्वार के विरुद्ध ही इन्दिरा गांधी ने वामपन्थी कपट प्रबन्ध के रूप में बैंक राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया। जनता को बहकाने में सफल हो जाने पर उन्होंने उन्हीं पुरानी नीतियों का अनुसरण बदला लेने की भावना से किया।

संयुक्त मोर्चा सरकारों को क्यों तोड़ा गया ?

इन नीतियों के पालन करने के लिये फूट पैदा कर पश्चिम बंगाल और केरल की दो संयुक्त मोर्चा सरकारों को तोड़ने की आवश्यकता पड़ी और दक्षिण-पंथी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता उसके इस काम में सहायक हुए। किन्तु यह भी पर्याप्त न था। उसने भारतीय मजदूर वर्ग का सर्वाधिक संग्रामी दल को, खासकर पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग को, जो हमारे संगठन के नेतृत्व में संगठित थे, असंगठित बना देना चाहा ताकि वे देश के अन्य भागों के मजदूरों को अपने जीवन स्तर, और गणतांत्रिक तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के ऊपर हमले के विरुद्ध लड़ने के लिये प्रेरणा और साहस प्रदान न कर सकें।

पश्चिम बंगाल में अर्धफासिस्ट आतंक

अतः राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत गुण्डों और समाजविरोधी तत्वों को संगठित किया गया। छात्र और युवकों के एक अंश को भी, इजारेदारों के ऊपर हमले करने के बादे, उन्हें काम देने और उनके लिये उज्वल भविष्य के बादे करके, संगठित किया गया। उनके संस्कारों में कम्युनिज्म विरोधी भावना का विष भरा गया। इसकी सहायता से पश्चिम बंगाल में अर्धफासिस्ट आतंक को चालू किया गया। इन गुण्डों के दल ने पुलिस की सहायता से जो इनकी सहायता में रहती, हमारे सी० आई० टी० यु० और अन्य जनतान्त्रिक संगठनों के संग्रामी कैडरों के उपर शारीरिक आघात पहुँचाना, छुरा मारना और गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। इन हत्यारे दलों के घातक

प्रहारों के शिकार उच्चकोटि के १०० से अधिक संग्रामी साथी हुये हैं । हम इस सी० आई० टी० यू० के द्वितीय सम्मेलन से इन बहादुर लड़ाकुओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जो मेहनतकश जनता की उत्कृष्ट संताने हैं, और हम यह शपथ लें कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी । चाहे हमें उसके लिये कितना ही बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े ।

साथ ही साथ एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र का कोम्बिंग आपरेशन करने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात कर दिया गया था। मानो कोई गृहयुद्ध छिड़ा हो। हजारों को अपने घड़ छोड़ने पड़े, हजारों के खिलाफ अदालत में मुकदमे चलाये गये। और बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर देना आज का नियम बन गया है।

१९७१ का चुनाव और उसके बाद

इन सभी घटनाओं के बावजूद और सी० पी० आई० के १९७१ के चुनाव में की गई विश्वासघात के बावजूद जो चुनाव इन्दिराई लहर के बीच हुआ था, उसमें पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस को अल्पमत में कर दिया। भारत के कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इस राज्य से लोकसभा की अधिकांश सीटों को जीता और राज्य विधान सभा में करीब-करीब बहुमत प्राप्त किया। तो भी इसे मन्त्रिमंडल गठन करने के लिये भी नहीं बुलाया गया। कांग्रेस ने सबके साथ अवसरवादी गठबंधन किया और मन्त्रिमंडल बनाया। किन्तु सामूहिक संघर्ष के उठते हुये ज्वार के सम्मुख यह मन्त्रिमंडल दो महीने से अधिक टिक न सका। विधान सभा भंग कर दी गई।

जालसाजी भरा चुनाव और आतंक में वृद्धि

पुनः, राष्ट्रपति शासन के दौरान, वही पुरानी अर्द्धफासिस्ट आतंक की बागडोर ढीली की गयी और १९७२ के विधान सभा के चुनाव में जालसाजी की गयी। तदोपरान्त अर्द्धफासिष्ट आतंक तीव्र किया गया और पुलिस तथा सी० आर० पी० की मदद से बैरक पुर, आसनसोल, जैसे सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कार्यकर्त्ताओं पर गुण्डों का हमला तेज हुआ। उन कारखानों में जहां हमारे हजारों यूनियन पदाधिकारियों को, जहां मजदूरों का समूह सी० आई० टी० यू० के प्रति वफादार था, कारखानों में प्रवेश नहीं करने दिया गया और मालिकों ने उन्हें बिना छुट्टी अनुपस्थित होने का बहाना बनाकर बरखास्त कर दिया। करीब ऐसे २०० यूनियनों के आफिस, जो सी० आई० टी०

यू० से सम्बद्ध थे, गुण्डों द्वारा और राजकीय पुलिस, सी० आर० पी० की मदद से दखल कर लिया गया। अधिकांश मामलों में हमारे कामरेड इन हमलों के सम्मुख नहीं किये। बहुधा उन्होंने गुंडों को मार भगाया, केवल तभी हमारे कामरेडों को झुकना पड़ा जब गुण्डों की मदद में पुलिस और सी० आर० पी० आई और जब श्रेष्ठ हथियार बन्द शक्ति का वे मुकाबिला न कर सके।

राज्य सरकार और पुलिस ने हजारों मुकदमे उनलोगों पर, जिन्होंने कार्यालयों पर हमला किया था, न चला कर हमारे कामरेडों के ही विरुद्ध चलाया जिनका एक मात्र अपराध यह था कि उन्होंने अपना बचाव किया था। सी० आई० टी० यू० और दूसरे जनतांत्रिक संगठनों का युनियनों के हजार से अधिक सक्रिय कार्यकर्त्ता तीन वर्षों से बिना मुकदमा चले जेलों में सड़ रहे हैं। निकट भविष्य में भी उनके मामलों की सुनवाई होने की कोई संम्भावना नहीं है। मिसा के अन्तर्गत करीब एक हजार बिना मुकदमा चलाये नजर बन्द किये गये हैं। जेलों में इन कामरेडों के प्रति किया गया बर्ताव अंग्रेजो हुकूमत के जमाने में किये गये बर्ताव से भी बदतर है। जब लोकसभा में यह प्रश्न उठाया जाता है तो गृहमंत्री सहानुभूति प्रगट करते हैं और कहते हैं कि अच्छे बर्ताव करने को सिफारिश कर दी गई है। किन्तु फिर अपना हाथ निराशापूर्ण ढंग से उठाते हुये कहते हैं कि चूँकि यह विषय राज्य का है, केन्द्र इस मामले में इससे कुछ अधिक नहीं कर सकता। क्या कोई यह विश्वास करेगा कि राज्य कांग्रेसो सरकार का यह साहस हो कि इन्दिरा गाँधी की इच्छाओं का पालन न कर?

संबैधानिक रूप में भी जब आपत्कालीन स्थिति हो, केन्द्र को यह अधिकार है कि राज्य सरकारों को राज्य के विषयों या दूसरे संबंधित मामलों में भी निर्देश दे। अगर सचमुच केन्द्र चिंतित है तो इस प्रकार के निर्देश वह क्यों नहीं देता? नहीं, साथियो इस तरह की बातें इन्दिरागांधी और केन्द्रीय सरकार की अनुमति किये बिना ऐसो घटना नहीं हो सकती। वे अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। सर्वोपरि सी० आई० टी० यू और पश्चिम बंगाल के अन्य जनतांत्रिक संगठनों के संग्रामो साथियों के बिरुद्ध एक लाख वारंट लटके हुये हैं। साथियो

राज्य में 'प्रगतिशील' और जनतांत्रिक इन्दिरा कांग्रेस का यह चेहरा है। जहाँ मजदूरों का, किसानों और खेत मजूरों का तथा मध्यवर्गीय नौकरी करने वालों का वर्ग संघर्ष एक उँचे स्तर पर पहुँच गया है और देश भर की मेहनतकश जनता पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है।

मजदूरों द्वारा प्रतिरोध

साथियो !

स्थापना सम्मेलन के अवसर पर अपनी रिपोर्ट में मैंने कहा था कि सरकार की इन नीतियों का—जैसे आम जनता के जीवनस्तर पर हमला और उनपर कष्ट लादने की—निश्चित रूप से प्रतिरोध होगा और मेहनतकश जनता संघर्ष रत होगी। ठीक यही निकट अतीत में, खास कर के गत एक वर्ष के दरम्यान, हुआ है।

इन्दिरागांधी पश्चिम बंगाल में अपनी इस अर्धफासिस्ट आतंक द्वारा दूसरे राज्यों की मेहनतकश जनता को संत्रस्त करने और पश्चिम बंगाल की जनता को भयभीत करने में सफल नहीं हो पाईं। इस आतक की परिस्थिति में पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने कार्य करने का नया तरीका पा लिया और उन्होंने संघर्ष किये। चटकल मजदूर, दुर्गापुर स्टील के मजदूर, सूताकलों के मजदूर और इन्जीनियरिंग जदूरों ने आई० एन० टी० यू० सी० ए० और ए० आई० टी० यू० सी० के समर्थकों के साथ एक्यबद्ध होने का रास्ता पाया। उनके नेताओं को मजबूर किया कि वे या तो आम संघर्ष में शामिल हों या हड़ताल का आह्वान करें। एकता और संयुक्त संघर्ष के लिये प्रयत्न जारी है।

देश के अन्य भागों में 'गरीबी हटाओ' और 'बेकारी हटाओ' के लुभावने नारों से जनता का मोह-भंग हो रहा है। जीवन का कठोर अनुभव बढ़ते हुये दाम के कारण अपने जीवन स्तर पर हो रहे प्रचंड हमले और बढ़ती हुई बेकारी इन सबने मिलकर करीब प्रत्येक राज्य की जनता को मजबूर किया है कि वे कृत संकल्प हो हड़ताल करें।

इन संघर्षों में स्वभावत: मजदूरवर्ग पहली पंक्ति में खड़ा है। प्रत्येक उद्योग के मजदूर प्रत्येक राज्य में हड़ताल की लम्बी लड़ाई लड़े हैं। केवल कुछ ही वर्ष पहले बुर्जुआ ऐसा कहा करते थे कि पश्चिम बंगाल हड़तालों, और संघर्षों से आक्रान्त है, क्योंकि वहाँ संयुक्त मोर्चे की सरकार है और वहीं महाराष्ट्र औद्योगिक शान्ति का स्वर्ग है। परन्तु गतवर्ष के आंकड़े यह बताते हैं कि हड़ताल और लाकआउट के कारण प्रति मजदूर काम के घण्टों को नष्ट करने में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। गतवर्ष भी हड़ताल की लहर तेज हुई।

इस दौर में पश्चिम बंगाल के जूट, सूताकल, इन्जीनियरिंग के मजदूरों का संयुक्त संघर्ष, तमिलनाडु के सूताकल, सिम्पशन, मद्रास और डनलप रबर फैक्टरी, चीनी कारखाना, बलास पराई प्लान्टेशन वर्कर्स, अशोकलीलैंड का सम्मिलित

संघर्ष, कानपुर के सूताकल, जूट, और जे० के० रेयन की हड़ताल, कोटा के जे० के० ग्रुप के मजदूरों का संघर्ष, राजस्थान के सूताकल के मजदूरों का, बम्बई कारपोरेशन वर्कर्स की हड़ताल, ऊनीमिल मजदूर और महाराष्ट्र के पावरलूम मिल मजदूरों की हड़ताल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) का संघर्ष, केरल के क्वायर हैण्डलूम और प्लेन्टेशन मजदूरों की हड़ताल, दिल्ली के सूतामिलों के मजदूरों का संघर्ष बड़े संघर्षों में कुछ हैं।

आलइंडिया सीमेन्टवर्कस की हड़ताल जिसमें देशभर में इस उद्योग को ठप्प कर दिया था, बड़े महत्त्व की है। असंख्य संघर्षों में से जिसे मजदूरों ने देश भर में पुलिस की लाठी, कैद, फायरिंग और यहां तक कि पुलिस हवालात में उत्पीड़न के सामने बहादुरी से चलाया था, उपरोक्त कुछ उदाहरण हैं। मैं इस प्रकार के संघर्षों की एक लम्बी फिहरिस्त से अपनी रिपोर्ट को बोझिल नहीं करना चाहता।

मैं अपने सेक्रेटरी का० एम० के पंधे पर छोड़ रहा हूँ, कि वे इस सम्मेलन में प्रस्तुत अपनी सी० आई० टी० यू० की कार्य रिपोर्ट में अधिक से अधिक संघर्षों के बारे में बतायेंगे।

सभी तबकों का संघर्ष

केवल मजदूरवर्ग ने ही संघर्ष का झंडा ऊँचा नहीं किया है। केरल, तामिलनाड और आन्ध्र तथा अन्य राज्यों के कुछ भाग के खेतिहर मजदूरों ने भी ऊँची मजदूरी के लिये, ट्रैक्टराइजेशन के विरुद्ध तथा जमीन में हिस्सा के लिये संघर्ष किया। बटाईदार और रैयत देश के विभिन्न भागों में बेदखली के विरुद्ध तथा अपने कब्जे की जमीन को बनाये रखने के लिये लड़ रहे हैं। सर्वोपरि इस अवधि में मध्यम वर्गीय कर्मचारियों का अभूतपूर्व पैमाने पर संघर्ष देखा गया है। बिहार, उत्तरप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा और अनेक राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने लम्बे अरसे तक हड़ताल और संघर्ष किये। कालेज और स्कूल के शिक्षकों ने भी प्रत्येक राज्य में कठोर और लम्बी हड़तालें चलाई हैं। मेडीकोज, अनेक राज्यों के विद्युत बोर्ड के इन्जीनियर, छात्र, खास करके इन्जीनियरिंग और तकनीकी प्रतिष्ठानों के छात्रों ने दीर्घ कालीन संघर्ष चालाये हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने पे कमीशन की रिपोर्ट जल्दी प्रकाशित कराने के लिये वृहद पैमाने पर आन्दोलन किया और संघर्ष के लिये तैयारियां कर रहे हैं। पे कमीशन की सिफारिश उनकी मांग से कम है। सब के लिये कम

से कम ८½ प्रतिशत बोनस की मांग की आवाज उठाई गई है और इस मांग को लेकर आन्दोलन शुरू हो गया है।

स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं।

सूत के ऊँचेदाम और कमी के विरुद्ध हैन्डलूम के बुनकर प्रत्येक राज्य में हजारों की संख्या में सड़क पर आंदोलन के लिये उतर आये हैं।

अनेक नगरों में गृहिणियों द्वारा बढ़ते हुये मूल्यों के विरुद्ध प्रदर्शन तथा धारना चल रहा है।

सूखाग्रस्त इलाकों में लोग जिनमें औरतें भी शामिल हैं, रिलीफ दिये जाने में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध तथा सूखा रिलीफ की मांग को लेकर अफसरों और स्थानीय कार्यालयों का घेराव कर रहे हैं।

सरकारी दमन चक्र

सरकार ने इन संघर्षों का मुकाबिला करने के लिये संग्रामी लोगों के प्रतिरोध को चूर करने के लिये अभूतपूर्व ढंग से दमन की नीति अपनाई। राज्य सरकारों के हड़ताली कर्मचारियों के प्रति किये गये बर्बर वर्ताव ने बिहार की समूची जनता को गहरा आघात पहुँचाया। ४००० को जब उनमें से जेल में बन्द कर दिया गया और हजारों को जेल में तथा पटना विधान सभा के पास पीटा गया। इसी तरह का बर्ताव कर्मचारियों और मेडिकल छात्रों के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा किया गया।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सेना बुलाई और हड़ताली इन्जीनियरों को काम करने के लिये डराने की कोशिश की। उनमें से अनेक पुलिस हवालात में पीटे गये।

हरियाना सरकार ने शिक्षकों को गाँवों और नगरों में घसीटा, छात्रों और जनता के सामने उन्हें पीटा तथा पुलिस स्टेशनों में उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटना जारी रखा। जब वे इस अत्याचार को सह न सके तो वे लोक सभा के सम्मुख प्रदर्शन करने के लिये दिल्ली गये। केन्द्रीय दिल्ली के प्रशासन ने उनमें से ३००० को जेल में बन्द कर दिया। हरियाना सरकार इससे परेशानी का अनुभव कर दिल्ली जानेवाली बसों को रोकने लगी और उन सबको जो शिक्षक प्रतीत होते थे जबर्दस्ती उतार देती थी और उन्हें थाना ले जाती थी। कुछ वकील भी पीटे गये। क्योंकि पुलिस को वे शिक्षक लगे।

केरल की सरकार ने जिसके नेता दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री अच्युतमेनन

हैं, दमन और हिंसा में इन सभी सरकारों को मात कर दिया। इसने पुलिस और सी० आर० पी० को कुट्टनद के खेतीहर मजदूरों को पीटने के लिये लगा दिया। सी० आर० पी० द्वारा औरतों का शीलहरण हुआ। हजारों राज्य सरकारी कर्मचारियों को जेल देने और पीटने से संतुष्ट न हो पुलिस को सारी जनता के विरुद्ध छोड़ दिया गया। जब वह हड़ताल करनेवाले कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी हुई।

दक्षिण रेलवे के लोको वर्कर्स के विरुद्ध हड़ताल रोकने के लिये डी० आई० आर० के उपयोग करने में और नेताओं को गिरफ्तार करने में, पार्लियामेण्ट में दिये गये आश्वासन के बावजूद कि डी० आई० आर० का उपयोग ट्रेडयूनियन के संघर्षों के विरुद्ध नहीं किया जायगा, केन्द्रीय सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई।

संघर्षों को दमन से दबाने के प्रयत्नों में तमिलनाडु की डी० एम० के० सरकार ने भी कांग्रेसी सरकार के पदचिन्हों का अनुसरण किया।

जनता की उपलब्धि

इस भयंकर दमन के बावजूद यह संघर्ष बेकार नहीं गये। हड़ताली मजदूरों और कर्मचारियों की एकता और दृढ़ता ने सरकार और मालिकों को मजबूर कर दिया कि वे उनकी अधिकांश मांगें मान लें। अनेक मामलों में मजदूरी में वृद्धि का लाभ हुआ। सबसे बड़ा लाभ न्यूनतम बोनस की ८½ तक की वृद्धि का हुआ। एक ग्रेच्यूटी कानून बनाना पड़ा। यद्यपि इसमें ऐसे अनेक नियम हैं जिनसे मजदूरों और कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्यूटी से वंचित किया जा सकता है।

फिर भी यह कहना होगा कि इन उपलब्धियों से बिगड़ती हुई हालत, जो मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है, को दूर करने में आंशिक मदद मिलेगी। वास्तविक रूप में जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है।

पाँचवीं योजना के दृष्टिकोण : नयी बोतल में पुरानी शराब

साथियो !

सब कथा इतनी ही नहीं है। हमें यह समझना चाहिये कि सरकार हमारे लिये, साधारण जनता के लिये और देश के लिये क्या योजना बना रही है और भविष्य में होने वाले तीव्र नये हमले का मुकाबिला करने के लिये मजदूरवर्ग

को तैयार करना चाहिये। इसी दृष्टिकोण से ही यह दस्तावेज 'अप्रोच टु द फिफ्थ प्लैन' का महत्व है। इस दस्तावेज में वर्णित नीतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। क्योंकि पांचवीं योजना इसी को आधार मानकर बनाई जा रही है।

यह दस्तावेज बड़े शान से यह घोषणा करता है कि पांचवीं योजना का लक्ष्य विकास और गरीबी पर हमले को जोड़ना है तथा आर्थिक विषमता को कम करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना ही इसका लक्ष्य है।

इन घोषणाओं में कोई नवीनता नहीं है। सभी पूर्ववर्ती योजनाओं में इसी तरह की घोषणा की गयी थी। दूसरी योजना पर भुवनेश्वर कांग्रेस में लिये गये प्रस्ताव ने घोषणा की थी : 'यह स्वतः आमदनी और सम्पत्ति के बीच बृहद असमानता, जो अभी मौजूद है, को घटाने का साधन बनेगा। दूसरे कदम भी उठाने पड़ेंगे ताकि शीर्षस्थ और निम्न तबके के बीच की दूरी जबर्दस्त रूप से कम हो जाय। यह कदम नीति और संगठन दोनों क्षेत्रों में उठाये जायेंगे।'

फिर भी अनुभव यह बताता है कि नीति और संगठन के क्षेत्र में उठाये गये कदम विपरीत फल दिये हैं जिनका वर्णन पहले किया गया है। असमानताएं बढ़ी हैं। गरीबी और बेकारी बढ़ी है।

क्या यह दस्तावेज प्रकट करता है कि यह महसूस किया गया है कि अब तक अनुसरण की जाने वाली नीतियाँ मूल रूप से गलत हैं उन्हें बदल देना चाहिये ? नहीं; इन पुरानी नीतियों से जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

'आत्मनिर्भरता'—एक मजाक

हम 'आत्मनिर्भरता' का प्रश्न लें, दस्तावेज कहता है कि 'अर्थ-व्यवस्था की सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र संतोषजनक रास्ता आवश्यकता के सामानों को उत्पन्न करना है.....यह उपयुक्त क्षेत्रों—इस्पात इत्यादि में उत्पादन शक्ति के निर्माण में वृद्धि और उत्पादकता शक्ति का पूर्ण उपयोग करने की ओर इंगित करता है।' क्या ही आश्चर्यजनक खोज है ! किन्तु दस्तावेज यह नहीं कहता कि आवश्यकीय क्षमता का निर्माण क्यों नहीं किया गया, यह किस हद तक साझेदारी के समझौतों का परिणाम है इत्यादि। यह इस बात को पूछने की जरूरत नहीं समझता कि पूर्ण उत्पादक क्षमता क्यों अनुपयुक्त है, क्यों पुराने और दोषपूर्ण डिजाइनिंग विदेशियों द्वारा सप्लाई किया

गया, कहाँ तक यह आर्थिक संकट का एक अंग है, इसे उपयोग करने की देश में अयोग्यता किस हद तक इस बात का परिणाम है कि पूर्ण क्षमता से कम का उपयोग इजारेदारों के लिये बहुत बड़ी लाभ देता है, जिन इजारेदारों को सरकार छूना नहीं चाहती इत्यादि। तब किस प्रकार यह आत्मनिर्भरता के बारे में बकवास करने के अतिरिक्त रास्ता की ओर संकेत कर चुका है ?

आत्मनिर्भरता की आवाज भारत पाकिस्तान युद्ध के दरम्यान तब उठी जब अमरीका ने भारत को आक्रामक घोषित किया, अपनी सहायता बन्द कर दी और भारत द्वारा कर्ज चुकाने के लिये नये कार्यक्रम अपनाने के प्रयत्नों में रुकावट डाली।

एक ओर यह आत्मनिर्भरता की आवाज यहाँ की जनता के लिये थी, दूसरी ओर विश्व बैंक और आई० डी० ए० के यहाँ आवेदन और बातचीत जारी रही और सुविधा मिल गई।

यह ज्ञात है कि विदेशी फर्म यहाँ से मुनाफे के रूप में बहुत बड़ी रकम ले जाते हैं। उनमें से कुछ तो अपनी लगाई पूँजी का दसगुना ले जाते हैं। इन विदेशी प्रतिष्ठानों को ले लेना, सभी साझेदारी के समझौते को रद्द कर देना, सभी विदेशी कर्जों के चुकाने को स्थगित करना, कोई विदेशी कर्ज या दुःसह शर्तों पर उधार न लेना, विकसित होने वाले समाजवादी देशों, जिनमें चीन अपने विशाल बाजार के साथ युक्त हो, के साथ घनिष्ट आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करना, हमारे देश जैसे अविकसित देशों से घनिष्ट आर्थिक सम्बन्ध करना—ये आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था के विकसित होने के रास्ते हैं।

जो कुछ भी हो, रूस के साथ और दूसरे पूर्वी योरप के समाजवादी देशों के साथ अधिक व्यापार के लिये नये समझौते के बावजूद सरकार अपने वर्ग सम्पर्कों के प्रति ईमानदार रहकर अमरीका से अपने सम्बन्ध सुधारने की चेष्टा करेगी। वह अमरीका सहायता के पुनः चालू होने की बहुत ही उत्सुकता पूर्वक आशा करती है। जब अन्य सब देश चीन से लाभदायक समझौता कर रहे हैं, भारत सरकार अपना पांव घसीट रही है।

इसमें आश्चर्य नहीं कि आत्मनिर्भरता के बारे में इतना बकने के बाद भी एप्रोच डाकूमेंट में पांचवी योजना के लिये ३००० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की व्यवस्था है। किन्तु यह राशि हमारे ऋण चुकाने की जिम्मेदारी मुश्किल से पर्याप्त होगी। जबकि यह जिम्मेदारी अभी १९७३-७४ में ५०४ करोड़ रुपये की हो गई है और यह बढ़ती ही जायगी। इसलिये सरकार इसके बदले कि वह सीधे ऋण स्थगन की घोषणा करे वह ऋण चुकाने की पुनः समय सारिणी के लिये प्रार्थना करती है।

हम पहले ही देख चुके हैं कि पूंजीवादी विश्व संकट के मध्य में है और पूंजीवादी देशों से अधिक मदद की आशा नहीं की जा सकती। वे हमारे देश और दूसरे सभी अर्द्धविकसित देशों को, उनके औद्योगीकरण के नाम पर, अपनी पूंजी का निर्यात करने में और लूटने में दिलचस्पी रखते हैं।

विदेशी पूंजी के लिये रियायतें

अथच सरकार विदेशी विनियोग की शर्तों में नर्मी करके उन्हें अनुगृहीत करती है, अधिक सम्मिलित समझौते मंजूर किये जा रहे हैं। जनानी पोशाकों के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग से एक फैक्टरी खोलने के लिये एक लाइसेन्स दिया गया है। एक दूसरा लाइसेन्स साइकिल टायर का निर्माण करने के लिये एक विशाल फैक्टरी खोलने के लिये दिया गया है, जिससे वे सभी वर्तमान फैक्टरियाँ बन्द हो जायेंगी जो लघु और मध्यम क्षेत्र में आती हैं!

पेट्रोलियम मन्त्रीने जनवरी में विदेशी तेल कम्पनियों को निमंत्रण दिया कि वे तटवर्ती स्थानों को खोदकर तेल का पता लगायें और इण्डोनेशिया के नमूने पर शोधनागार स्थापित करें, यानी जिससे विदेशी संस्थायें तेल का ४० ले जा सकती हैं और उसका अपनी इच्छानुसार प्रबन्ध कर सकती हैं।

उन्होंने जापान के तोयो को भी जेलर आधार (टर्न की बेसिस) पर पाँच उर्वरक फैक्टरियाँ खोलने के लिये भारतीय साहस तथा शिल्पवैज्ञानिक सुविज्ञता का अतिक्रमण करते हुए निमत्रण दिया था।

ये केवल कुछ ही उदाहरण हैं। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार अब भी विदेशी इजारेदारों और भारतीय इजारेदारों पर उद्योगों का विकास करने के लिये भरोसा करती है और इसीलिये उन्हें रियायतें दी जाती हैं। ये रियायतें गत फरवरी में भारत सरकार द्वारा घोषित नयी औद्योगिक नीति-प्रस्ताव (न्यू-इण्डस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन) में परिलक्षित होती हैं।

इसकी पहली विशेषता यह है कि इसने विदेशी पूँजी को अधिक क्षेत्र प्रदान किया है। वाणिज्यक सवारियाँ, कागज, सीमेन्ट, प्लेटग्लास, नौ-परिवहन, ट्रैक्टर, केमिकल, टायर, मृत्तिका-शिल्प जैसे उद्योगों का एक विशालतर क्षेत्र, विदेशी फर्मों और उनके पूरकों के लिये भारतीय साहसियों के साथ साथ, खुला छोड़ दिया गया है इस दलील पर कि इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। और इनमें से अधिकांश में देशी शिल्पविज्ञान पहले से ही मौजूद है। यहाँ तक कि "कामर्स" ने भी, जो बड़े व्यापार का मुख-पत्र है, इस पर इस प्रकार सम्पादकीय टिप्पणी की है :

"आश्चर्य की बात है कि इसने इजारेदार घरानों को विदेशी संस्थाओं और पूरक संस्थाओं तथा विदेशी कम्पनियों को शाखाओं के साथ समीकृत कर दिया है और विदेशी कम्पनियों के लिये उन्हीं उद्योगों द्वारा खोल दिये हैं जो माने गये भारतीय साहस के लिये खुले हैं। अतीत की भाँति क्या यह हमारे उद्योग को संकेत है उदारता पूर्वक विदेशी हिस्सेदारी तलाशने के लिये या यह विदेशी विनियोजकों के लिये आश्वासन है कि वे अपने मौजूदा विनियोग के अवमिश्रण के बदले में उचित रूप में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं? दोनों सूरत में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को क्षति पहुँचेगी क्योंकि इससे, हमें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाने के लिये विज्ञान और शिल्पविज्ञान के लिये राष्ट्रीय योजना की बात असंगत हो जायगी।" (कामर्स, १० फरवरी १९७१)

इजारदारों को रियायतें

इस औद्योगिक नीति-प्रस्ताव की दूसरी विशेषता यह है बड़े-बड़े इजारेदार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विनियोजन के लिये उद्योगों का विशालतरक्षेत्र प्रदान किया गया है। अब तक उनके द्वारा विनियोजन केवल 'कोर इण्डस्ट्रीज' तक ही सीमित था और वे जनता के उपभोक्ता सामानों के उद्योगों में नये विनियोजन से प्रतिबाधित थे। उनके लिये क्षेत्र का यह विस्तार 'कोरसेक्टर' में उद्योगों की संख्या बढ़ाने की साधारण चाल द्वारा उपलब्ध किया गया है।

मिसाल के तौर पर 'कोर सेक्टर' को प्रारम्भिक सूची में भारी औद्योगिक मशीनरी जैसे कागज मशीनरी, केमिकल मशीनरी और विशिष्ट मशीन औजार, का क्षेत्र इजारेदार घरानों के लिये खुला था। कोर इण्डस्ट्रीज की नयी सूची में 'हैवी मशीनरी' शब्द ठीक 'औद्योगिक मशीनरी' के रूप में बदल दिया गया है। इस प्रकार मशीन औजारों के उद्योग का सम्पूर्ण क्षेत्र खोल दिया गया है। केमिकल के क्षेत्र में अधिक विस्तृत द्वार खोल दिया गया है और इन मदों को शामिल कर लिया गया है जैसे मानव-निर्मित रेशा, संश्लिष्ट प्रक्षालक, कीटनाशक (पहले बेसिक केमिकल्स कीटनाशक के लिये था), औद्योगिक विस्फोटक शंश्लिष्ट-विस्फोटक, संश्लिष्ट धूना और प्लस्टिक्स। वास्तव में, विविध केमिकल और अकार्बनिक तथा कार्बनिक हैवी केमिकल्स शब्दों के अन्दर केमिकल उद्योग का विस्तृत क्षेत्र बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये खोल दिया गया। एलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में पहले की फेहरिस्त में केवल चुने हुए निश्चित अवयव ही शामिल थे। किन्तु नयी फेहरिस्त में बहुत विस्तृत शब्द "एलेक्ट्रानिक अवयव और उपकरण" का प्रयोग आया है। ट्रांसपोर्ट उद्योग के क्षेत्र में 'शिप एसिलरीज' शामिल

किया गया है। "कोरइण्डस्ट्रीज" "इस्पात की ढलाई और गढ़ाई" शामिल किया गया है।

आम उपभोक्ता के माल के उद्योग के सम्बन्ध में भी वे पूर्णरूपेण वर्जित नहीं हैं। बड़े औद्योगिक घरानों को 'इकनामिक्स' अफस्केल एण्ड टेकनालाजिकल इम्प्रूवमेण्ट, जिनका एक सुनिश्चित उपयोग है, के आधार पर पूंजी लगाने की अनुमति मिलेगी। और भी, इन घरानों को इन उद्योगों के लिये अलग अलग मामलों की खूबी के आधार पर लाइसेंस देने का अधिकार मिला है।

कोई आश्चर्य नहीं कि 'इंडियन एक्सप्रेस ने ५ फरवरी १९७३ के संपादकीय में प्रसन्नता के साथ लिखा था।

"बड़े उद्योगपतियों के लिये जो सर्वाधिक सुखद है ऐसे उद्योगों का आधुनिकीकरण करना जो उनके लिये खुले होंगे। उनके कार्य करने का क्षेत्र तथा दायरा इस प्रकार विस्तृत कर दिया गया है और उन्हें जो निपुणता और पूंजी प्राप्त है उसे देश के औद्योगिक विकास के लिये पूर्ण सहयोग में समर्थ बनायेगा। परिशिष्ट में 'कारक्षेत्र' उद्योगों की सूची उस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन रेखा प्रस्तुत करती है लेकिन निर्यताभिमुख उद्योगों तथा साथ ही साथ जनता की सामग्रियों के उत्पादन सहित ऐसे क्रियाकलापों, जहां पैमाने और तकनीकी सुधार के अर्थशास्त्र को घनात्मक भूमिका अदा करनी है, के सम्बन्ध में विचारी गयी सुविधाओं से क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया गया है"

इजारेदारों के विरुद्ध वह गर्जन कहाँ गया, जिसका आनन्द इन्दिरागांधी के चुनाव के वक्त लिया था ? यह नीतियाँ वास्तव में लघु तथा मध्यम आकार की अनेकों औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने की ओर अग्रसर होंगी। यही वह नीतियाँ है जो पांचवी योजना में अन्तर्निहित हैं। अब तक अनुसरण की जा रही नीतियों से अलगाव कहां है। यदि कहीं कुछ अलगाव है तो वह इजारेदारों के लाभ के लिये है।

और अधिक कर तथा घाटे की अर्थव्यवस्था

इस योजना के लिये साधना कहाँ है जिन्हें लगभग ५१,००० करोड़ रुपयों के आगत आर्डर के रूप में पेश किया गया है। ६,००० करोड़ से अधिक नये करों से आने वाला है जिसका ६० प्रतिशत यानी ३ ६०० करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से उगाहे जाने वाले हैं। वे घाटे की आर्थिक विकास के समरूप स्तर

पर रखने का वादा करते हैं। और फिर भी उन्होंने एक विशाल खाई को बिना पाटे हुए छोड़ दिया है। यह, और इसके साथ ही यह तथ्य कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों से प्रत्याशित बचत, विगत किया-कलापों का निरूपण करते हुए, कभी मूर्त्तरूप नहीं लेगी। इसका केवल यही अर्थ होगा कि घाटे की अर्थ व्यवस्था बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। उन्हें ५१,००० करोड़ रु० आर्थिक लक्ष्य तक पहुँचना है।

मूल्य-रेखा पर नियंत्रण ?

मूल्य-रेखा पर नियंत्रण की बात कोरी कल्पना होगी और परिणाम होगा सदा बढ़ती हुई कीमतों से जनता की और अधिक लूट।

आयोजक कीमतों को स्थिर करने के साधन के रूप में खाद्यान्नों के थोक व्यापार को ले लेने के निर्णय का प्रदर्शन करते हैं। अनुभव बताता है कि यह घोषणायें कैसे क्रियान्वित की जाती हैं। सरकार ने गत मई में यह घोषणा की की वह खरीफ फसल से ४५ लाख टन खाद्यान्नों की वसूली के लिये कटिबद्ध हैं और अपने ९० लाख टन के संचित प्रतिरोधक भण्डार के साथ वह बिना आयात किये ही प्रबंध करने में समर्थ हो जायगी। लेकिन खरीफ फसल लक्ष्य से आधी मात्रा की भी वसूली नहीं हुई और २० लाख टन खद्यान्नों का आयात किया जा रहा है। जहां तक खाद्यान्नों के थोक व्यापार के तथा-कथित अधिग्रहण का सम्बन्ध है, यह महत्वपूर्ण बात है कि सरकार समूचे अतिरिक्त अनाज की वसूली नहीं कर रही है, बल्कि बाजार में आये अतिरिक्त का ही वसूली का प्रस्ताव करती है। इसका केवल यही अर्थ होता है कि सरकार जमीनदारों और धनी किसानों के समूचे अतिरिक्त उत्पादन की निश्चित कीमतों पर अनिवार्य रूप से वसूली करने नहीं जा रही है। यह थोक विक्रेताओं का उन्मूलन करना नहीं चाहती। बल्कि फुटकर विक्रेताओं को अपना माल बेचने के बजाय उन्हें और मिलों को सरकारी वसूली के लिये दलालों के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। तात्पर्य यह कि उनसे भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्टाचार को दृष्टि में रखते हुए जो हाल का एक सबसे बड़ा कलंक बन चुका है कोई भी कल्पना कर सकता है कि थोक व्यापारियों और मिलवालों के साथ भारतीय खाद्य निगमन की इन कार्य-विधिकों से जनता क्या उम्मीद कर सकती है।

गरीबी रेखा क्या है ?

गरीबी, बेकारी और आर्थिक विषमताओं के ऊपर हमला करने के सम्बन्ध में दस्तावेज क्या कहता है ?

सबसे पहले दस्तावेज मनमाने ढंग से निश्चय करता है कि १९६०-६१ में प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति माह प्रति व्यक्ति २० रु० की आमदनी गरीबी की सीमा रेखा है। वे लोग जो इस स्तर से नीचे के हैं, आबादी के ३० प्रतिशत हैं। लगता है अन्दाजिया तरीके से ये आंकड़े निश्चित किये गये हैं।

योजना मन्त्रालय के राज्यमंत्री श्री मोहन धारिया ने १९७३ की २८ फरवरी को लोक सभा में कहा—"चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और पांचवी योजना दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में १९६०-६१ में वस्तुओं के मूल्य के आधार पर न्यूनतम उपभोक्ता स्तर प्रति माह प्रति व्यक्ति २० रु० वांछनीय माना गया है। मौजूदा कीमतों के आधार पर वह रकम ४० रु० होगी। वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका उपभोक्ता शक्ति इससे कम है, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे माना जायेगा। चूंकि औसतन एक कमाने वाले को तीन व्यक्तियों का भरण-पोषण करना पड़ता है, इसलिये एक परिवार की प्रतिमाह १६० रु० की आमदनी उस पर परिवार को गरीबी सीमा रेखा से ऊपर रखेगा।

इस हिसाब से चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जिसे १७० रु० प्रति माह वेतन मिलते हैं, गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर होगा। उक्त बयान योजना विभाग के मंत्री मोहनधारिया ने लोक सभा में दिया है। दिल्ली बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोयम्बटूर कानपुर आदि जैसे शहरों में एक कमरे की कालकोठरी का भाड़ा प्रतिमाह ५० से अधिक है। अगर वह गेहूँ खाये तो उसके परिवार के लिये आवश्यक ६० किलो प्रतिमाह गेहूँ का मूल्य ९० रु० लगेगा। अब बचे वह २० रु० में क्या जीवनदायिनी वस्तु खरीद सकेगा, जब कि उसका मासिक वेतन मात्र १६० ही है, वे इसके योजना बनाने वाले ही बता सकते हैं।

१९६८ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा संचालित सर्वेक्षण से पता चलता है कि गांवों की १८·४ करोड़ ग्रामीण जनता की प्रतिमाह आमदनी १८ रु० से भी कम थी। सर्वेक्षण ने और भी रिपोर्ट दी है "कि १९६०-६१ की तुलना में हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पोष्टिक तत्वों की कमी काफी बढ़ गई है। १९६०-६१ को ५२ प्रतिशत ग्रामीण आबादी की तुलना में १९६७-६८ में ७० प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी सीमा रेखा के नीचे पाई गई।

फिर भी दृष्टिकोण पत्र हमें यह विश्वास दिलाना चाहते है कि केवल आबादी की ३० प्रतिशत जनता ही २० रु० प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की उनके द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित गरीबो की सीमा रेखा के नीचे है। क्या वे यह चाहते हैं कि जनता विश्वास करले कि चूंकि इन्दिरागांधी ने जादू का डण्डा घुमा दिया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया और लोगों की विशाल संख्या की गरीबी गत २ वर्षों के अन्दर समाप्त हो गई ? और कैसे ? अभूतपूर्व ढंग से मूल्य वृद्धि, कारखानों की तालाबन्दी और बेकारी में बढ़ोत्तरी के द्वारा ?

मजूरी बढ़ोत्तरी पर रोक—

दृष्टिकोण पत्र बताता है कि इन निम्नतम स्तर के ३०% आबादी के लोगों को गरीबी के विरुद्ध जंग में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और इसे प्राथमिकता दो जानो चाहिये। अतः मेहनतकश जनता के अन्य हिस्सों को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनो चाहिए।

इस तथ्य से उन लोगों ने पांचवी योजना के लिये मजदूरी-नीति का निर्धारण किया है। वे योजना की पांच वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिये मजदूरी बढ़ोत्तरी पर रोक का प्रस्ताव करते हैं। प्रथम तो वे कहते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के संगठित मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि भी विकास के लिये उपयुक्त होनेवाले साधनों को समाप्त कर देगी और इस प्रकार आबादी के निम्नस्तर के ३०% लोगों की गरीबी के विरुद्ध जंग छेड़ने में बाधक होगी।

द्वितीयतः, दृष्टिकोणपत्र कहता है कि बिना उत्पादन बढ़ाये हुए मजदूरी में किसी प्रकार की वृद्धि उत्पादन इकाई के मूल्यों में वृद्धि करेगी। इसलिये मूल्य के स्थायित्व के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

मूल्यवृद्धि क्यों ?

मेहनतकश वर्ग को इस थोथी दलील का असली चेहरा दिखाना चाहिये। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि १९५२-६४ के बीच प्रति मजदूर उत्पादन ६३% बढ़ा था फिर भी वास्तविक मजदूरी अगर घटी नहीं तो किसी तरह ज्यों का त्यों बनी रही। तब फिर क्यों इस अवधि में मूल्य वृद्धि हुई ?

पुनः १३ जून १९७१ का इकनामिक टाइम्स कहता है की "दूसरा असर, जिसकी पुष्टि कम्पनी फाइनेंस के आंकड़े से नहीं होती, हाल के वर्षों

में उत्पादन और मजदूरी के मूल्यों में वृद्धि से सम्बन्धित है। जैसा कि देखा जा सकता है जबकि उत्पादन मूल्य (वर्तमान मूल्यों के आधार पर) के प्रतिशत के रूप में बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का उत्पादन खर्च १९६५-६६ से १९७०-७१ की ६ वर्ष की अवधि में प्रायः ५५% स्थिर रहा है। और मजदूरी का मूल्य जिसमें कर्मचारियों के कल्याण पर हुए खर्च भी शामिल है, में गिरावट आई है। यद्यपि यह गिरावट न्यूनतम है, जो १९६५-६६ में १४% थी, १९७०-७१ में १३·२% हो गई।" इसका अर्थ हुआ ६ वर्षों में मजदूरों की मजदूरी में ६% कमी हुई। फिर भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही गये।

गतवर्ष चीजों की कीमतों में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि क्यों हुई? क्या यह मजदूरी में वृद्धि के कारण हुई?

पिछले दिसम्बर में उस समय के विदेशव्यापार मंत्री एल० एन० मिश्र ने सूताकल उद्योग के सम्राटों की एक सभा में कहा कि रूई के मूल्य में ३०% का ह्रास हुआ है किन्तु कपड़े के मूल्य में १०% की वृद्धि हुई है। मंत्री ने उनसे मूल्य घटाने के लिये प्रार्थना की। उस प्रार्थना का परिणाम हुआ सूते और कपड़े के मूल्य में तब से असाधारण वृद्धि। तो क्या यह वृद्धि गत तीन महीने के भीतर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के कारण हुई है?

जहाँ तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, दृष्टिकोणपत्र कहता है "हाल के वर्षों में कुछ लोग ऊँचा-वेतन स्तर के द्वीप के रूप में अवतरित हुये हैं, जहाँ सफेदपोश कर्मचारियों का प्रभुत्व है। उन्होंने दबाव डाल कर मजदूरी को ऊँचे स्तर पर ठेल कर ला दिया है जिसका आम मजदूरी के स्तर से मेल नहीं खाता। यह आवश्यक है कि दृढ़ संकल्प के साथ इस रूख का प्रतिरोध किया जाय। नहीं तो योजना के लिये प्रस्तावित साधनों का अधिकांश भाग वे दबोच लेंगे। और देश मुद्रास्फीति और ठहराव में ढकेल दिया जायगा।" पुनः वही विकास के साधनों का समापन और मूल्य की स्थिरता का हौवा खड़ा किया जा रहा है।

निम्नतम स्तर के ३० प्रतिशत लोगों के विरुद्ध मजदूरों को खड़ा करने की कोशिश

इसके सिवाय यह भी है कि यह संगठित उद्योग के मजदूरों और कर्मचारियों को निम्नतन स्तर के ३०% आबादी के लोगों विरुद्ध खड़ा करना है, जिनमें खेतिहर, मजदूर, गरीब किसान, हैंडलूम के बुनकर तथा असंगठित और

शोषित उद्योगों के नाममात्र की मजदूरी पाने वाले तथा बेकार लोग शामिल है।

गरीबी के खिलाफ हमला

लेकिन जबकि वे उन निम्नतम वर्ग के ३०% लोगों की अवस्था पर घड़ों आँसू बहाते हैं, तब वे उनकी गरीबी मिटाने क लिये वास्तव में करना क्या चाहते हैं ? क्या वे निम्नतम ३०% को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण करने के लिये ऊँचे वर्गों, खास करके चोटी के १०% लोगों की कीमत पर साधारण जनता की हालत सुधारने के लिये कौन सा कदम उठाना चाहते हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को दूर करने और विषमता मिटाने का सबसे प्रभावशाली तरीका जमीन्दारों से उनकी सम्पूर्ण जमीन ले लेना है। ये जमीन्दार खेती के प्रधान कार्य करने में कोई शारीरिक श्रम नहीं करते। ये मात्र परजीवी हैं जो जमीन जोतने वाले के श्रम और पसीने पर पलते हैं। उनकी जमीन भूमिहीन खेतिहर किसानों तथा गरीब किसानों में मुफ्त बाँट देनी चाहिये। दृष्टिकोण पत्र में यह बात न कहकर भूमि सुधार की बात कही गयी है। भूमि के सुधार के कानूनों से, जिन्हें कांग्रेसी सरकार ने पहले बनाया था, विराट पैमाने पर बेदखली और बेनामी जोत की जमीन-बढ़ी है तथा इससे खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रस्तावित भूमि सुधारों से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। जैसा कि हम पहले ही पश्चिम बंगाल, तामिलनाडू और कुछ अन्य राज्यों में देख चुके हैं, जहाँ गत ३ वर्षों से ऐसे कानून लागू किये गये हैं।

ये कानून जमीन्दारों की जमीन को नहीं छुयेंगे और खेतिहर मजदूरों को जमीन नहीं देंगे। किन्तु क्या ये कानून और कुछ नहीं उनकी मजदूरी बढ़ायेंगे, जिससे उनकी दशा में कुछ सुधार हो सके ? नहीं। पत्र इस बात को स्वीकार करता है कि "गरीब वर्ग के उपभोक्ता शक्ति वांछित स्तर तक उठाने के लिये वैधानिक न्यूनतम मजदूरी इसके लिये एक महत्त्वपूर्ण उपाय होगा।" और फिर भी इस 'महत्त्वपूर्ण उपाय' का उपयोग वे नहीं करेंगे। क्यों ? यह कहता है कि "सर्वत्र व्याप्त बेकारी की हालत में न्यूनतम वेतन को कार्यान्वित करना कठिन है। खास करके असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की परिस्थिति मालिकों को काफी सुअवसर प्रदान करती है कि वे उस कानून से बँच जायँ।

इस प्रकार यह पत्र स्वीकार करता है कि प्रशासकीय नियंत्रण द्वारा वे कानून को झांसा देने से नहीं रोक सकते और झांसा देने वाले को दंडित नहीं कर सकते जबकि इस झांसे का अवलम्बन धनी वर्ग द्वारा किया जाता है।

तब वे ३०% लोगों के लिये क्या करने जा रहे हैं? पत्र कहता है कि वे ३०% लोगों के पीने के पानी का प्रबन्ध करेंगे, घर बनाने के लिये जमीन देंगे और कुछ झोपड़ियाँ तथा और रास्ते बनायेंगे। यह माना गया है कि इससे उनका जीवन स्तर बढ़ेगा और बेकारी तथा गरीबी पर अंकुश लगेगा।

इस प्रकार न्यूनतम ३०% के लिये व्यक्त चिन्ता एक बहुत बड़ा मजाक है। उनके लिये कोई जमीन नहीं उनकी मजदूरी में कोई सुधार नहीं। गरीबों की व्याकुलता को इधर उधर चर्चा केवल इसलिये की जाती है कि अन्य मेहनतकश जनता के वर्तमान जीवन स्तर को संकुचित किया जा सके और न ही उनमें कोई सुधार हो।

आयनीति—एक धोखा

यह अन्यायपूर्ण बर्ताव सम्पूर्ण मेहनतकश जनता के प्रति किया जाता है। पर समृद्ध वर्ग के बारे में फिर क्या बात है? उन्हें वे कैसे छू सकते हैं जब उनकी पूरी योजना ही विनियोजन के लिए आम जनता को लूट कर साधन जुटाने पर आधारित है। अतः उनकी तथाकथित आयनीति समृद्ध वर्ग के लिये बरती जाने वाली वर्त्तमान नीति का जारी सिलसिला है। यह केवल उनसे "अत्यधिक आय करने पर स्वेच्छा से अंकुश" लगाने को कहता है। कोई भी अंकुश या रुकावट शीर्षस्थ १० प्रतिशत के लिये भी प्रस्तावित नहीं है। तथाकथित उनकी आय नीति भी उनकी नीतिहीनता को उचित ठहराने की कोशिश है। ऐसा यह कहकर किया जाता है कि सम्पन्न वर्गों के मामले में उपार्जित आय को नियंत्रित करने की वैसी कोई बात नहीं, बशर्ते आय वाजिब ढंग से तथा निर्धारित उपार्जित आय के अनुसार की गई हो।"

जब वे आमदनी को निर्धारण बिन्दु पर नियंत्रित नहीं करते तो उसकी सीमा वे किस प्रकार नियंत्रित करने जा रहे हैं? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

अर्थव्यवस्था का दयनीय विकास

अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास की लम्बी बात भी एक मजाक बन जाती है, जब दृष्टिकोण पत्र आर्थिक विकास का दयनीय लक्ष्य ५% निश्चित करता है। हम लोगों को केवल चीन की उपलब्धियों से तुलना करनी है। चीन की अर्थ व्यवस्था के स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों के अनुसार जैसा कि समाचारपत्रों में हाल ही में छपा, है उसकी १९७०-७१ का आर्थिक विकास १८% और १९७१-७२ में यह १०% था। १९७१-७२ में विकास की गति में गिरावट के कारण केवल उस वर्ष चरम सीमा के सूखा की हालत को ही नहीं बताया गया, बल्कि इस बात को भी कि सरकार ने क्वालिटी पर बल दिया था। क्रान्ति के ठीक बाद १९५० में चीन में इस्पात का उत्पादन करीब १ लाख टन था। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट बताती है कि १९७१-७२ में इस्पात का उत्पादन दो करोड़ दस लाख टन हो गया जो पूर्व वर्ष के उत्पादन से १८% अधिक है। १९७१-७२ में यह उत्पादन २३० लाख टन हुआ जो ९५% वृद्धि को बताता है। विकास की गति में गिरावट का कारण पुनः क्वालिटी के सुधार करने के लिये किये गये उपायों को बताया गया है।

इसकी तुलना भारत की स्थिति से करे। हमारी योजना बनाने वाले केवल ५% विकासदर की बात सोच सकते हैं, जब कि चीन की विकासदर सामान्य वर्ष में १८% थी और सूखे की साल १०% थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सन् १९४८ में हमारा इस्पात का उत्पादन ७ लाख टन था। वह १९७२-७३ में ५७ लाख टन है। चतुर्थ योजना का लक्ष्य ८१ लाख टन है। और पत्र यह प्रस्ताव रखता है कि इसके बाद वाली योजना में इसे बढ़ा कर ९४ लाख टन कर दिया जायगा। यानी पांच वर्ष में वृद्धि १३ लाख टन है, जब कि चीन की वृद्धि १ वर्ष में २० लाख टन और वह भी सूखे की हालत में है।

बेकारी बढ़ेगी

इस प्रकार की मामूली विकास वाली योजना से वे किस प्रकार बेकारी की समस्या हल कर सकते हैं। वास्तव में बेकारी और बढ़ेगी। स्वयं दृष्टि-कोणपत्र इस बात को स्वीकार करता है, जब वह कहता है कि "मजदूरी दिलानेवाले काम, जो पांचवी योजना में पैदा होने वाले है, से सिद्ध होता है कि मजदूरों की संख्या में वृद्धि से अनुमान कुल संख्या कम 'पड़ेगी' इस प्रकार बेकारों की संख्या में और वृद्धि होगी।

शिक्षा पर आघात

जहाँ तक शिक्षित बेकारों का प्रश्न है, दृष्टिकोण पत्र चाहता है कि इनकी संख्या कम रहे। लेकिन इसे मिटाकर नहीं, टेक्निकल संस्थानों में भरती में कमी करके साधारण शिक्षा के सम्बन्ध में वह चाहता है कि कालेजों और स्कूलों में भरती होनेवालों की संख्या "बुरी तरह कांट छाँट दी जाय।" वे बेकारी दूर करने के लिये योजना नहीं बना सकते इसीलिये कालेजों और टेक्निकल संस्थानों को बन्द करने की योजना बनाते हैं। योजना बनाने वाले शिक्षित बेकारों की समस्या को नियंत्रणीय अनुपात में रखने के लिये उदीयमान पीढ़ी के सांस्कृतिक स्तर पर आघात करने की ही बात सोच सकते हैं।

योजना का अवास्तविक पूर्वानुमान

किन्तु यह लक्ष्य भी कभी पूरा होने नहीं जा रहा है। क्योंकि इन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिये पत्र में किये गये पूर्वानुमान निपट अवास्तविक हैं।

सर्वप्रथम इसके पूर्व कि इस दस्तावेज की स्याही सूखे १९७२ में मूल्यों में १५% वृद्धि के कारण स्थिर मूल्यों का पूर्वानुमान उलट गया। १९७३ के प्रथम दो महीनों में मूल्यों में वृद्धि और भी तेजी से हो गई है। फरवरी के अन्त में जब बजट पेश हुआ तब से चीजों के दाम और भी बढ़े हैं। तब हमें योजना के पांच वर्ष के दौरान नीतियों की वजह से होने वाले मूल्य वृद्धि पर विचार करना है। तथा हम देख सकते हैं कि ५१ हजार करोड़ रुपये वास्तविक धन के रूप में जो लक्ष्य की भौतिक पूर्ति के लिये जरूरी है, कम पड़ेगा।

द्वितीयतः अर्थ-व्यवस्था की नीति के सम्बन्ध में पूर्वानुमान, जब योजना १९७४ में शुरू होगी, वह भी गलत सिद्ध हुई है। मैंने भी १९७० के मई में स्थापना सम्मेलन की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चौथी योजना डांवाडोल की स्थिति में है। इसका दो वर्षों का कार्य बहुत ही खराब रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्यों में भयंकर गिरावट होने जा रही है। ८१ लाख टन इस्पात के लक्ष्य के विपरीत ६० लाख टन इस्पात, ८०० लाख टन कोयले के लक्ष्य के विपरीत ७०० लाख टन कोयला तथा इसी प्रकार और क्षेत्रों में हुआ है। देशव्यापी विद्युत में कटौती हुई है, जिसने विस्तृत क्षेत्र में उद्योगों और कृषि को ठप्प कर दिया है। और इस बात को बड़ी तीव्रता से सामने लाया है कि सभी क्षेत्रों में कार्य बहुत ही दयनीय होने जा रहा है।

निर्यात की कठिनाइयाँ

तृतीयतः, प्रति वर्ष ७ प्रतिशत निर्यात में वृद्धि का पुर्वानुमान भी संकट में पड़ेगा। विश्व के पूंजीवादी संकट, खास करके मुद्रा संकट और विकसित देशों की अपनी मूद्राओं का डालर के साथ विनिमय मुद्रा निश्चित करने की असमर्थता ने विकासमान देशों के लिये अत्यन्त ही कठिन परिस्थिति पैदा की है। इन मुद्राओं को स्वतन्त्र तैरने के लिये छोड़ दिया गया है, यानी उनका विनिमय दर प्रतिदिन सट्टा बाजार की अकल्पनीय झक के अनुसार बदला करेगी। ऐसी परिस्थितियों में पहले से यह कोई नहीं जानता कि हमारा निर्यात क्या दाम लायेगी तथा इससे इसलिये निर्यात करने वाले बहुत खुश होंगे इसके साथ ही यूरोपियन साझाबाजार में ब्रिटेन का प्रवेश भी जुड़ जाता है। इससे हमारे यहाँ से परम्परागत ब्रिटेन को होने वाले निर्यात को गहरा धक्का लगा है। उनका अफ्रीका के पहले के फ्रांसिसी उपनिवेशों के लिये निश्चित कोटा है तथा ग्रेट ब्रिटेन से युरोप के साझाबाजार के देशों को होने वाले हमारे निर्यात को इसी कोटे में स्थान पाना है। साम्राज्यवादी देश जो आर्थिक संकट के चंगुल में फंसे हुए हैं, और गहरे वाणिज्य युद्ध में उलझे हुए हैं, हमारे निर्यात के लक्ष्य का अन्त कर देंगे। और भी जूट तथा चाय के निर्यात में जो अकस्मात वृद्धि १९७१-७२ में बंगाल-देश में व्याप्त स्थिति के कारण हुई है, वह अब नहीं रहेगी।

ये सब काम का बोझा बढ़ाने, श्रम बचाव के उपायों का अवलम्बन करने, इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरस का और अधिक उपयोग, यहाँ तक कि मेहनतकशों द्वारा प्राप्त लाभों के ऊपर आघात लाने के निश्चित प्रयास की ओर ले जायेंगे। बहाना यह होगा कि हमारे माल अत्यधिक प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण बाजार में सस्ते हों ताकि निर्यात बढ़े। बेरोजगारी की समस्या और भी बदतर होगी। इसका अर्थ यह भी होगा कि देश की समूची जनता के मूल्य पर निर्यात करने वालों को और अधिक अनुदान दिये जायेंगे।

इजारेदारों के लिये योजना और जनता पर हमला

इस प्रकार पाँचवी योजना, जिसे सरकार बना रही है, एक तरफ जनता के कष्ट को घनीभूत करेगी और गरीबी तथा बेकारी को ही बढ़ायेगी। दूसरी ओर यह इजारेदारों को और मोटा बनायेगी, सामान्तर चलने वाले काले धन की अर्थ व्यवस्था को खूब मजबूत करेगी और भ्रष्टाचार में वृद्धि करेगी। धनी और गरीब के बीच की खाई और विस्तृत होगी। इजारेदारों का देश के आर्थिक

और राजनीतिक जीवन पर शिकंजा और मजबूत होगा। साम्राज्यवादियों और विदेशी इजाईदारों द्वारा देश के धन की लूट अत्यधिक बढ़ जायेगी।

आत्मनिर्भरता मृगमरीचिका सिद्ध होगी। परनिर्भरता बढ़ेगी हमारी राजनैतिक स्वाधीनता को खतर में डालेगी।

अमरीका से प्रणय-याचना

इस तरह के घटना-क्रम के लिये पहले से ही महत्वपूर्ण संकेत मौजूद हैं। हमें केवल भारत-पाक युद्ध और इसके बाद के समय के अमरीका के विरुद्ध गर्जन को स्मरण करना है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के तमाम कांग्रेसी नेता सी० आई० ए० के षड़यंत्रों के बारे में चिल्ला रहे थे।

किन्तु तत्काल बाद ही अमरीका के प्रति प्यार प्रदर्शन की चेष्टा करने लगे। मध्य प्रधानमंत्री ने आणविक बमबाजी के समकक्ष एक एशियाई देश यानी उत्तरी वियतनाम के ऊपर बमबाजी करने के लिये अमरीका की भर्त्सना की।

अमरीकी सरकार ने तीव्रता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अमरीकी राजदूत को भारत के लिये खानगी को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का आदेश दिया। इदिरागाँधी के ऊपर मय छा गया। अपकर्ष तब आया जब अपने काठमांडू के भाषण में फौरन यह कहा कि मेरा संकेत अमरीका की ओर नहीं था। तब कहीं जाकर अमरीका द्रवित हुआ और अपना राजदूत भारत में भेजा।

मार्च के द्वितीय सप्ताह में जब भारत को अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का इरादा मालूम हुआ तो भारत की सरकार ने अपनी व्यथा अमरीका से व्यक्त की। किन्तु जब दूसरे दिन अमरीका ने भारतीय दलीलों को रद्द कर दिया और पाकिस्तान को पुनः शस्त्र सप्लाई करने की खुली घोषणा की तब भारत की सरकार लोकसभा में अमरीका के इस कार्य के कारण विलाप करने के सिवा और कुछ न कर सकी। जो भी हो साथ ही साथ अमरीकी सरकार ने भारत की सहायता बन्दी खत्म कर दी और ६९० लाख डालर की स्वीकृत-सहायता, जो रोक दी गई थी। देने की घोषणा की।

कोई भी स्वाभिमानी सरकार इस प्रस्ताव को ठुकरा देती और इन परिस्थितियों में सहायता लेने से इनकार कर देती, किन्तु भारत की सरकार जिसका नेता 'घमंडी' न झुकनेवाली इन्दिरागांधी है, ऐसा नहीं करेगी। इसलिये कृतज्ञता पूर्वक सहायता को स्वीकार कर लिया।

आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न मजबुरियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से सरकार ने पूँजीवादी विकास के पथ का अनुसरण कर और उस पर डटे रहकर देश को डुबा दिया।

निकट का भविष्य हमारे लिये बहुत बड़े खतरे से पूर्ण है।

मजदूरों के ऊपर आक्रमण की शुरूआत हो चुकी है

साथियो !

आक्रमण प्रारम्भ हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के सभी जनरल मैनेजरों को १९७२ में अर्थ-मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि वे अपने मजदूरों के साथ मजदूरी बढ़ाने या मामूली लाभ के लिये भी बिना फाइनंस मिनिस्ट्री को बताये और उसकी अनुमति प्राप्ति किये बिना कोई समझौता न करें।

गत नवम्बर महीने में जब अखिल भारतीय सीमेण्ट के मजदूर हड़ताल पर थे, बातचीत के दौरान अन्तरिम तलब वृद्धि के लिये समझौता हुआ था। मजदूरों के प्रतिनिधि इस प्रकार के समझौते पर बल देते थे कि इस उद्योग में, १९७३ की फरवरी के बाद जब पहले हुये समझौते की अवधि समाप्ति हो जायगी, तो स्टील मजदूरों के मजदूरी स्तर के ही समान यानी २४५ रु० न्यूनतम मजदूरी के लिये समझौता होगा। मजदूरी का ढांचा बाद में समझौता वार्ता के बाद निश्चित किया जा सकता है। सौदेबाजी में मैनेजमेंट २३० रु० तक आया। किन्तु इस अवस्था तक पहुँचने पर प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री ने हस्तक्षेप किया और समझौता वार्त्ता भंग कर दी। उन्होंने कहा कि मजदूरी के प्रश्न पर बातचीत तब होगी जब सरकार राष्ट्रीय मजदूरी की नीति घोषित कर देगी। उन्होंने बताया कि इसकी घोषणा वर्षान्त के पूर्व ही हो सकती है। आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि, जो इन्दिरा कांग्रेस के संरक्षण पर भरोसा करते थे, को सहमत होना पड़ा और इस प्रकार हड़ताल ध्वस्त कर दी गई। १९७३ की फरवरी बीत चुकी। मार्च भी बीत गयी है। पहले का ३ वर्ष के लिये समझौते की अवधि समाप्त हो गई। तिस पर भी समझौता वार्ता शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय मजदूरी नीति की अब भी घोषणा नहीं हुई है। दृष्टिकोण-पत्र से हम जानते हैं कि वह नीति क्या है ?

सरकार को मजदूरों की सम्मिलित शक्ति के सम्मुख झुकना पड़ा; उसे बोनस एक्ट में सुधार लाना पड़ा और बोनस को बढ़ाकर ८.३३ प्रतिशत करना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने उस एक्ट में भी संशोधन कर गत वर्ष के बोनस

से अधिक रकम नकद रूप में चुकाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया चाहे यह रकम एक्ट की धारा के अन्तर्गत देय क्यों न हो। इस प्रकार इस रकम को प्राविडेण्ट फण्ड में जमा करने के लिये मजबूर किया। मजदूरों के प्राविडेण्ट फण्ड के करोड़ों रुपयों के बारे में जैसा अनुभव है, जिसका दुरुपयोग मालिकों ने किया है और फिर भी जो दण्ड से वंचित और आजाद हैं, उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बोनस की यह अधिक रकमें जो प्राविडेण्ट फण्ड में जमा की जायेंगी, उनका क्या होगा।

प्रधानमंत्री ने मजदूरी अवरोधन (wage freeze) के पक्ष में प्रचार अभियान प्रारम्भ कर दिया है। वास्तव में उन्होंने यह प्रचार आन्दोलन मई १९७१ में ही शुरू कर दिया था। किन्तु आज यह अधिक जोर-शोर से कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन के नामाना नामक गांव के खेतिहर मजदूरों की एक सभा में भाषण करते हुये गत फरवरी में उन्होंने यहाँ तक कह डाला, कि ये औद्योगिक मजदूर और कर्मचारी जो अधिक वेतन की मांग करते हैं, देश के प्रति विश्वासघात करते हैं। वे इजारेदार जो मुनाफा कमाते हैं, टैक्स देने से बचते हैं, मूल्य में वृद्धि करते हैं, वे देशभक्त हैं। क्यों कि वे अपने काले धन से अच्छी रकम कांग्रेस पार्टी को देते हैं।

इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल का उद्देश्य लड़ाकू श्रमिक संगठनों का सफाया

सरकार जानती है कि मजदूरों के प्रतिरोध के होते वह इस नीति को नहीं चला सकती। इसलिये लड़ाकू यूनियनों को औद्योगिक क्षेत्र से समाप्त कर देना चाहिये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये लेबर मिनिस्टरी ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें नये इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल के लिये सिद्धांतनिहित हैं। और इस दस्तावेज को सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के अर्थ मन्त्रालय के पास भेजा गया है।

सरकारी यन्त्रों द्वारा सदस्यता की जांच के आधार पर इस दस्तावेज में एक ही यूनियन को स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था है जिससे यही यूनियन सौदेबाजी करेगी। अनुभव बताता है; इस पद्धति के अन्तर्गत ऐसी यूनियनें जिन्हें मजदूरों का विश्वास प्राप्त नहीं है, किंतु शासक वर्ग के अधीन हों तो उन्हें स्वीकृत यूनियन घोषित किया जायगा।

एकमात्र स्वीकृत यूनियन ही किसी विवाद को उठा सकती है और हड़ताल घोषणा कर सकती है।

अगर कोई अस्वीकृत यूनियन कोई हड़ताल चलाती है, तो उस हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। इसके पदाधिकारी तीन वर्षों के लिये कैद के भागी होंगे और इस हड़ताल में भाग लेने वाले मजदूर एक वर्ष के लिये कैद के भागी होंगे।

केंद्र या राज्य स्तर पर इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स आयोग गठित करने की व्यवस्था है।

किसी भी विवाद को अपने आप ही, किसी समय मालिक, स्वीकृत यूनियन, या सरकार, जिसका उस विवाद से सम्बन्ध हो, पंच निर्णय के लिये आयोग को सौंप सकते हैं। एक बार विवाद के इस प्रकार सौंपे जाने पर हड़ताल अवैध हो जाती है, पंच निर्णय दोनों दलों के लिये अनिवार्य रूप से पालनीय हो जाता है।

अनेक उद्योगों को आवश्यक सेवा संस्थान की लिस्ट में शामिल किया गया है। इन उद्योगों में हड़ताल बिलकुल प्रतिबंधित है। इनमें सभी विवाद आवश्यक रूप से पंच निर्णय द्वारा ही हल किये जायेंगे।

मजदूरों के अनुचित कार्य कलाप की एक विस्तृत सूची दी गई है। उन कार्यों के करने से किसी यूनियन की स्वीकृति दो वर्षों के लिये समाप्त हो जायगी।

इस प्रकार सरकार लड़ाकू ट्रेडयूनियनों के बृद्धि का गला घोंटना चाहती है तथा अपने कठपुतली यूनियनों को बाचचीत करने का एजेण्ट बनाना चाहती है। और अगर वह यूनियनें कोई विवाद उठायें तो जबरन पंच निर्णय लादना चाहती है।

यह सरकार की पैशाचिक चाल है क्यों कि वह जानती है कि जब तक मजदूर वर्ग को आतंकित कर आत्मसमर्पण न कराया जाय, तब तक हमारे अन्य वर्गों के मजूरों को पांचवीं योजना में निहित आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष के लिये खड़े होने से नहीं रोक सकते और न तो वे अपनी जन-विरोधी नीतियों, स्कीमों को शान्ति पूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं।

चुनौती के मुकाबिले के लिये एकता

यह सम्पूर्ण मजदूर वर्ग और जनता के लिये चुनौती है। मजदूर वर्ग हढ़ एकता से ही इस चुनौती का मुकाबिला किया जा सकता है और पैशाचिक

योजना को असफल बना सकता है। इस समय का सबसे आवश्यक कार्य सभी टेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा बना कर इस खतरे के विरुद्ध लड़ना है तथा मजदूरों की एकता है।

वर्ग सहयोगवादी एकता में महान बाधक

किन्तु इस कार्य के लिये ए० आई० टी० यू० सी० के नेताओं की वर्ग सहयोगवादी नीति सबसे महान बाधक है।

साथियो।

मैने अपनी गत स्थापना कॉंफ्रेंस की रिपोर्ट में इनके वर्ग सहयोगवादी कार्यों का विस्तृत वर्णन किया था। भेद पैदा करने वाली कार्रवाइयाँ, जिसे वे करते थे उनके लिये नितान्त आवश्यक है। क्यों कि सम्मिलित यूनियनों में हमारी उपस्थिति उनके लिये पूर्ण रूप से अपने वर्ग सहयोगवादी नीति के कार्यान्वयन में बाधा बन रही थी। अन्त में हमें मजबूर होकर ए० आई० टी० सी० से बाहर आना पड़ा और सी० आई० टी० यू० की स्थापना करनी पड़ी। हम लोगों की समझ में पूरी तरह आ गया था कि ऐसा ही करने से हम वर्ग-संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं और संघर्षों के लिये अपने वर्ग की एकता के लिये लड़सकते हैं।

अतः जब एस० ए० डांगेने सभी केन्द्रीय ट्रेडयूनियन संगठनों और फेडरेशनों का सम्मेलन बुलाया तो हमलोग इस सुझाव से लाभ उठाने के लिये बहुत उत्सुक थे और हमने प्रसन्नता पूर्वक उसमें भाग लिया। भारत सरकार के श्रम-मंत्री ने जब, २०-२१ मई को ट्रेडयूनियन के नेताओं की सभा बुलाई थी तो उसके पहले १८,१९ मई १९७१ को डांगे वाला सम्मेलन हुआ था।

१८,१९ मई के सम्मेलन में हमलोगों ने कार्यवाही का ऐसा मंच प्रस्तुत करने पर विचार करने में सहायता की जो मंच सभी भाग लेने वालों के लिये स्वीकार्य हो। सम्मेलन में एक संयोजक मंडल गठित किया गया जिसमें ए० आ० टी० यू० सी० के सतीशलुम्बा, एच० एम० एस० के महेश देशाई और सी० आई० टी० यू० की ओर से था। जिसे समय समय पर परिस्थिति पर विचार विमर्श करना था और सम्मेलन ने हमारे ऊपर यह निश्चित उत्तरदायित्व सौंपा कि हम सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी संगठनों की सम्मेलन में संयुक्त मंच तैयार होने वाले निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये मीटिंग बुलायें।

सरकार द्वारा संचालित सम्मेलन के खतम होने के दूसरे दिन १८-१९ मई के सम्मेलन में भाग लेने वाले पुनः मिले; उन्होंने सरकार के रुख के प्रति असंतोष व्यक्त किया और मई में होने वाले सम्मेलन के निर्णय को पुनः समर्थित किया और दुहराया।

इससे हमें यह आशा हुई कि एक विस्तृत संयुक्त अभियान शुरू होगा और कार्यवाही की जायगी। किन्तु बार बार प्रयत्न करने के बावजूद संयोजक मंडल एक बार के अलावा और नहीं मिला और ए० आई० टी० यू० सी० ने निर्णय के कार्यान्वित होने को नष्ट किया और संयोजक मंडल तोड़ दिया।

ए० आई० टी० यू० सी० ने संयुक्त कार्यवाही को क्यों नष्ट किया

यह क्यों हुआ? हम सीधे उनके मुंह से ही सुने ए० आई० टी० यू० सी० के गत कलकत्ता सम्मेलन में उपस्थित की। वे अपनी रिपोर्ट में डांगे कहते हैं "यह आकस्मिक नहीं हुआ है और न तो यह किसी असावधानी का परिणाम है, कांग्रेस के भंग होने के बाद की घटनाओं ने देश में राजनीतिक शक्तियों का आपस में पुनर्गठबन्धन कराया। यह और भी तेज हुआ और मध्यवर्ती चुनाव (जनवरी-फरवरी १९७१) के समय ध्रुवीकरण हुआ। इस सन्दर्भ में १८,१९ मई को ट्रेड यूनियन सम्मेलन द्वारा गठित जिस प्रकार का संयुक्तमंच तैयार हुआ था वह अधिकाधिक अवास्तविक बन गया। इन राजनीतिक घटना क्रमों के फलस्वरूप, साथ ही सी० आई० टी० यू० के अत्यन्त संकीर्ण नीति, दूसरे ट्रेडयूनियन केन्द्रों को कलंकित और खुली गाली देना ..... और दूसरी यूनियनों के ऊपर बन्धु हत्याकारी आक्रमण चलाना ... इन सबसे सी० आई० टी० यू० के साथ निरन्तर जारी रहने वाले आममंच की स्थापना के प्रयत्नों को सार्थकता नष्ट हो गई।"

वे आगे कहते हैं कि "सी० आई० टी० यू० अन्य जन संगठनों के ऊपर सी० पी० एम० की लाइन थोपना चाहती है और इस प्रकार संयुक्त कार्यवाही करने को असंभव बना देती है।"

प्रथम कथन के अतिरिक्त बाकी सब सरासर झूठ है। वास्तव में हमारी यूनियनों और कैडरों को कांग्रेसी गुण्डों का, जिन्हें पुलिस और सी० सार० पी० की सहायता प्राप्त थी, हत्याकारी आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था।

वे एक भी अपने संगठन को हमारे द्वारा कलंकित करने का उदाहरण उद्धृत नहीं कर सकते। हम लोग केवल सम्मेलन केवल सम्मेमन के निर्णयों को कार्यान्वित करने पर बल दे रहे थे और इसके लिये सहमत न होने के लिये उनकी आलोचना करते थे। हमलोग निश्चय ही वर्ग सहयोगी कार्यवाइयों की आलोचना करते थे।

यह दोसारोपण कि हम अपनी राजनीतिक विचारधारा दूसरों पर लादना चाहते हैं हास्यास्पद है। जब संयुक्तमंच बना था तो क्या हमलोगों ने ऐसी कोई चीज की थी? अगर ऐसी बात है तो उन्होंने क्यों स्वीकार किया था?

उनकी संकीर्णता की चर्चा करने का एकमात्र अभिप्राय यह है कि हम इन्दिरा की कांग्रेसी सरकार को प्रगतिशील सरकार मानने को तैयार नहीं हैं और उसके साथ सहयोग करने से इनकार करते हैं।

सही कारण पहले बताया गया है जब राजनीतिक पुनर्गठबन्धन की बात कहते हैं। यानी उनकी पार्टी का इन्दिरा को कांग्रेस के साथ गांठ जोड़े। यह गठ जोड़, जैसा कि वे स्वतः ही कहते हैं, १९७१ के मई सम्मेलन के बहुत ही पहले सन् १९६९ में ही हो गया था। और जैसा कि बाद में भी उन्होंने कहा है "कि यह जनवरी, फरवरी १९७१ के मध्यवर्ती चुनाव के समय यह और भी तेज हुआ और अत्यधिक ध्रुवीकरण हुआ।"

तब उन्होंने चार महीने बाद सम्मेलन क्यों बुलाया? और संयुक्तमंच सम्मेलन के निर्णय को क्यों माना?

यह स्पष्ट है कि उन्होंने यह इसलिये किया कि सरकार गिरे और वह आई० टी० यू० सी० पर दबाव डाले को वह ए० आई० टी० यू० सी० की शर्तें मान लें और इस प्रकार इन वर्ग सहयोग वादियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाय।

यह रिपोर्ट के पृष्ठ ११७, ११८ में की गई शिकायत से और भी स्पष्ट हो जायगा कि उसी मीटिंग में जहां नेशनल कौंसिल आफ ट्रेड यूनियन का सम्मेलन हुआ था, आई० टी० यू० सी० ने आई० यल० में एकाधिकार का दावा किया था और उसे पाया भी।

ए० आई० टी० यू० सी० की दुरंगी नीति

यह बात भी उनके इस कथन से स्पष्ट हो जायगी कि सरकार द्वारा की गई २०, २१ मई के सम्मेलन से मुख्य रूप से इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स से

सम्बन्धित बातों पर विचार-विमर्श करने के लिये ए० आई० टी० यू० सी०, यच० एम० एस०, आई० यन०, टी० यू० सी० के एक कार्यकारी दल का गठन हुआ।" (ए० आई० टी० यू० सी० का २९ वे अधिवेशन की सिक्रेटेरिएट रिपोर्ट पृ० ११२)

इस प्रकार का कोई भी निर्णय सम्मेलन में नहीं लिया गया था। दूसरी तरफ सरकार द्वारा संचालित सम्मेलन के पश्चात २२ मई को, जैसा कि स्वयं डांगे स्वीकार करते हैं, १८-१९ के सम्मेलन में भाग लेने वाले (आई० एन० टी० यू० सी० एक दर्शक था) सरकार द्वारा संचालित सम्मेलन की समीक्षा करने के लिये मिले। उन लोगों ने एकमत से सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया और उसके तीन दिन पूर्व हुए १९ मई के निर्णय पर पुनः बल दिया।

इससे क्या यह स्पष्ट नहीं है कि डांगे गुप्त रूप से सरकार के साथ कोई गुप्त सौदा कर रहे थे। उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि ए० आई० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० और आई० एन० टी० यू० सी० ने एक कार्यकारी दल बनाया है। ए० आई० टी० यू० सी० के नेताओं की दुरंगी नीति और मक्कारी उन्हीं के शब्दों में लिखित रूप में है।

ए० आई० टी० यू० सी० के नेता ने जिस 'प्रगतिशील कांग्रेस' के साथ गठबन्धन किया है उसका चरित्र क्या है ?

एक बार फिर हम ए० आई० टी० यू० सी० के मुंह से कहे गयी मूल्य वृद्धि और इसके लिये सरकारी दलीलों पर ध्यान दें। यस० ए० डांगे द्वारा, ए० आई० टी० यू० सी० के सिक्रेटिरियेट की, गत ३० जनवरी के २९ वें अधिवेशन में, पेश की गई रिपोर्ट बताती है कि "पहली दलील है, विकासमान अर्थ व्यवस्था में मूल्य वृद्धि अनिवार्य है। क्योंकि भारी उद्योगों में अधिक रुपया लगाया जाता है और कृषि सहित उपभोक्ता वस्तुओं में कम "यह दलील इजारेदारों को जनता के कोप से बचाने की कोशिश करता है। जो राष्ट्रीय विकास के लिये तो कष्ट सहने के लिये तैयार है पर मुट्ठीभर धनिकों के लिये नहीं।

इजारेदारों की कौन रक्षा करता है ? ए० आई० टी० यू० सी० के नेताओं के ही कथनानुसार स्वयं सरकार ही ऐसा करती है। क्यों किस रकार ही तो ऐसी दलील देती है।

दूसरा दिया गया तर्क इस प्रकार है "विकास कार्य के कारण मुद्रास्फोति अनिवार्य हो जाती है। किन्तु बाजार में आने वाला

रुपया अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं से अधिक है । ऐसी स्थिति पैदा करने के षड़यंत्र में बड़े पूजीपति घराने, बैंक, और सरकार सभी शामिल हैं ।....."

"इस प्रकार मुद्रा स्फीति जबर्दस्त मुनाफाखोरों द्वारा जानबूझकर अपनाई गई नीति है और भारत सरकार सचेतन रूप में पार्टी है।"
(जोर हमारा)

"५५%से अधिक पूंजी का निर्माण उपभोग के समर्थन में हो रहा है । और इसकी आधी रकम भोग विलास की वस्तुओं के लिये । 'इसके लिये अगर सरकार, बड़े बड़े इजारेदार घराने।
और उनके मक्कारपूर्ण व्यवहार उत्तरदायी नहीं हैं तो और कौन है?
(जोर हमारा)

रिपोर्ट स्वीकृति सूचक ढंग से १८ नवम्बर १९७२ की सेन्ट्रल एडवाइजरी कौंसिल आफ इन्डस्ट्रीज की मीटिंग की रिपोर्ट से निम्नलिखित उद्धरण पेश कर रही है।

वर्ष	दिये गये लाइसेंस	गैरसरकारी कम्पनियों की पूँजी	सभी आर्थिक संस्थानों द्वारा बांटी जाने वाली सहायता
	करोड़ रुपयों में	करोड़ रुपयो में	करोड़ रुपयों में
१९६८-६९	८३·८	९६·४	८५
१९६९-७०	७३·२	९२.७	१११
१९७०-७१	१२७·१	८६·७	१३३
१९७१-७२	२५२·२	७७·७	१६२

"यह दीख पड़ेगा कि यहाँ ऐसे लक्षण हैं जिससे निजी क्षेत्रों में निजी पूंजी विनियोजन में वृद्धि हुई है.....जो कुछ भी हो, यह भी दीख पड़ेगा कि जबकि निश्चित मियाद के लिये कर्ज देनेवाली संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता के वितरण में काफी वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि गत ४ वर्षों में दूनी हो गई है और सरकारी कम्पिनियों द्वारा तैयार की गई पूंजी स्थिर हुई है ।"

(वास्तविकता यह है कि २०% का उसमें ह्रास हुआ है)

इस पर आलोचना करते हुये ए० आई० टी० यू० सी० के नेतागण रिपोर्ट में

कहते हैं, "इस प्रकार की बरबादी करने के बावजूद, भारत की सरकार बड़ी उदारता से इन इजारेदारों का पेट अर्थ से भर रही है। (पृष्ठ ४०)

रिपोर्ट में इसके पूर्व नेतागण कहते हैं कि इजारेदारों की सरकार से मांग है कि वह इजारेदारों की पूंजी को किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे या जिस क्षेत्र में यह पहले से ही है उसमें बिना किसी शर्त के बढ़ने दिया जाय।" "मजदूरी की बढ़ोत्तरी रोके और हड़ताल पर प्रबन्ध लगाये।" और इन नियमों को आर्डिनेन्स और नये औद्योगिक सम्बन्ध कानून द्वारा लागू करें, ऐसी ही यूनियनों को स्वीकृति प्रदान करे जो इस लाइन पर चलें यानी ऐसी यूनियनों को जीवित और पुनर्स्थापित करें जिनका इस अवधि में काफी ह्रास हुआ हो।"

हम पहले ही देख चुके हैं कि दृष्टिकोण पत्र के औद्योगिक नीति प्रस्तावित इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल में ये सारी मांगें मान ली गई हैं।

इस प्रकार डांगे स्वयं इस बात को स्वीकार करने के लिये मजबूर हुये हैं कि इन्दिरा की यह सरकार इजारेदारों का स्वार्थ साधन करती है, उनके साथ है। जानबूझकर उनकी सहायता के लिये मुद्रास्फीति की आर्थिक व्यवस्था के बजट की नीति चलाती है और मुक्तहस्त से इन इजारदारों को रुपये खिलाती है। वे स्वीकार करते हैं कि यह सरकार वर्ग-संघर्ष के अत्यन्त प्रारम्भिक रूप हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है।

यह बक्रोक्ति है कि ए० आई० टी० यू० सी० के नेता ने अपनी रिपोर्ट के १३७ पृष्ठ पर अपने संगठन के ढांचे के रूप में मार्क्स और एंगेल्स के ए० बेबल, डब्लू० लिबेख्त और दूसरों की गश्ती चिट्ठी का उद्धरण दिया है। उसमें मार्क्स और एंगेल्स घोषणा करते हैं, उनलोगों से इसलिये सहयोग करना असंभव है क्योंकि वे वर्ग संघर्ष को आन्दोलन से मिटा देना चाहते हैं।"

यह एक सरकार है जो केवल इच्छा ही नहीं करती बल्कि वास्तव में कानून द्वारा वर्ग संघर्ष को उड़ा देती है और तो भी वे इस सरकार के साथ सहयोग करते हैं। और वे हमें संकीर्णतावादी कहते हैं जब हम यह कहते हैं कि हम ऐसी सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सकते।

किन्तु डांगे के अनुसार ऐसी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि "उच्चपदस्थ नेता और इन्दिरा गांधी जैसे लोग यह विश्वास करते हैं कि हड़ताल और मजदूरी का स्थगन ही मूल्यवृद्धि का एकमात्र समाधान है।

उन्होंने फिर क्यों इजारेदारों के तर्कों को स्वीकार किया, जिन इजारेदारों को उसने गरजती हुयी आवाज में जनता का शत्रु कहा था ? उन्होंने क्यों अपने मित्र एस० ए० डांगे और दक्षिणपंथी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं की दलीलों को नामंजूर कर दिया ? इसका कोई जवाब नहीं ।

उन्हें एकबार वर्ग सहयोग की नीति का दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लेने के पश्चात् अपने दल के आमलोगों को सन्तुष्ट करना है । इसीलिये यह बड़बड़ाहट है कि "एक मंत्री कोकिंग कोयले का राष्ट्रीयकरण करता है तो दूसरा मजदूरी में वृद्धि को रोकता है; तीसरा मंत्री 'कम आन' से बात करता है तो चौथा विश्व-बैंक के पास जाता है ।" मानो सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इन्दिरागान्धी के बिना जानकारी के ही ये सारी बातें होती हैं और वह अपने मंत्रियों को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोक नहीं सकतीं ।

अपनी वर्ग सहयोगिता की नीति के कारण ही १८, १९ मई १९७२ को गठित मंच को उन्होंने नष्ट कर दिया और वे आई० एन० टी० यू० सी० के साथ गुप्तवार्ता में शरीक हुए और अन्ततोगत्वा 'नेशनल कौंसिल आफ ट्रेड यूनियन्स' को जन्म दिया । इसके लिये उन्हें मूल्य चुकाना पड़ा; उन्होंने मजदूर वर्ग के हितों की बलि दी, गुप्त मतदान को त्यागा और भेरिफिकेशन को माना ।

बाद में, यह सच है कि समझौते को कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि आई० एन० टी० यू० सी० ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ-जहाँ बी० आई० ऐक्ट लागू है वहाँ-वहाँ वर्तमान स्थिति में हेर-फेर न किया जाय ।

किन्तु ए० आई० टी० यू० सी० के नेतागण इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते कि वे सी० आई० टी० यू० और अन्य लड़ाकू ट्रेड यूनियन केन्द्रों और संगठनों को विच्छिन्न करने को सरकार की चाल का ही अनुसरण कर रहे हैं । अगर वे मई-सम्मेलन के निर्णयों को दृढ़तापूर्वक मानते और उसे लागू करते तो भारत सरकार को यह साहस न होता कि प्रस्तावित 'इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल' को सामने लाती ।

यू० सी० टी० यू० का गठन

१९७१ के मई-सम्मेलन की एकता को विनष्ट हुए देख हमलोगों ने अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों से राय-बात कर उन सभी संगठनों का १ और २ अक्तूबर १९७२ को दिल्ली में सम्मेलन बुलाने के लिये कदम उठाया जिन्होंने १९७१ के सम्मेलन में भाग लिया था ।

ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० को छोड़ बाकी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने सम्मेलन में भाग लिया जैसे एच० एम० पी०, यू० यू० टी० यू० सी० (लेनिन सरणी) और अनेकों फेडरेशन्स आफ सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट इम्पलाइज जिन्होंने १९७१ के मई सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन ने यूनाइटेड कौन्सिल आफ ट्रेड यूनियन्स गठित करने का एक मत से निर्णय लिया और कामरेड जार्ज फर्नाण्डीज को संयोजक चुना। इसने एक सेक्रेटेरियट की स्थापना करने का भी निश्चय किया और कौंसिल बनाने का निर्णय लिया जिसमें प्रतिनिधित्व सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी संगठनों का रहेगा

सबके लिये बोनस

१९७१ केदूसरे सम्मेलन से भिन्न रूप में इस सम्मेलन ने सबके लिये बोनस की मांग के लिये राज्य स्तर पर सम्मेलन करने का आह्वान किया। यह मांग उन सभी कर्मचारियों और मजदूरों द्वारा प्रतिध्वनित हुई जो न्यूनतम बोनस से वंचित कर दिये गये हैं। दिल्ली में १९७२ के दिसम्बर महीने में राज्य और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और म्यूनिसिपल वर्करों का अखिल भारतीय कनवेन्शन हुआ जिसमें बहुसंख्यक लोगों ने भाग लिया।

आसाम में राज्यव्यापी कनवेंशन हुआ। दूसरे स्थानीय कनवेन्शन्स भी हुए है। एन० एफ० आई० आर० और ए० आई० आर० एफ० के नेताओं को साथ ही डिफेन्स फेडरेशन को भी यह बात (न्यूनतम बोनस की) उठानी पड़ी यद्यपि इन लोगों ने इस मांग को उद्योगों के मजदूरों तक ही सीमित रखना चाहा है और इस प्रकार कर्मचारियों और मजदूरों की एकता को भंग करना चाहा है।

सेक्रेटेरियट की दो बैठकें हुई एक बंगलौर में और दूसरी दिल्ली में बंगलोर की मीटिंग में आंध्र आन्दोलन की वजह से रेल बद होने के कारण सभी सदस्य उपस्थित न हो सके।

यू० सी० टी० यू० को और अधिक सक्रिय बनाइये

सम्मेलन के दस्तावेज पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं और इसलिये इस पर अधिक बोलने में मैं समय नहीं बिताना चाहता। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि यू० टी० यू० सी० को और सक्रिय बनाने से इसके समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार संयुक्त कार्रवाई और संघर्ष की तैयारी करने से उन सम्पूर्ण दूसरे ट्रेड यूनियन केन्द्रों के मजदूर वर्ग पर, जो यू० सी० टी० यू० में शामिल नहीं हुए हैं, काफी प्रभाव पड़ेगा और उससे मजदूर वर्ग की सर्वस्तरीय एकता गढ़ने में सहायता मिलेगी।

साथियो, हमें विच्छिन्न करने के लिये सरकार की कोशिश के बावजूद तथा बावजूद इसके कि वर्ग सहयोग वाले नेताओं ने सरकार को सहयोग-सेवा अर्पित की है, हमारी एकता और संघर्ष की नीति को इस अवधि में और भी सफलता मिली है।

सभी वर्गों के मजदूरों और कर्मचारियों के बहादुराना संघर्ष जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट में पहले कर चुका हूँ, इस नीति की सफलता के प्रमाण हैं।

संघर्षों से सबक

ये संघर्ष यथेष्ट अनुभवों से परिपूर्ण हैं और इनसे महत्वपूर्ण शिक्षायें लेनी हैं जिससे मजदूर वर्ग का आन्दोलन की और अग्रगति हो।

प्रथम, इनमें से अनेक संघर्ष इसलिये सम्भव हो सके क्योंकि हमारे कामरेडों ने मजदूरों की सही और महत्वपूर्ण समस्याओं को लिया और दूसरे यूनियनों के मजदूरों के यहाँ पहुँचे। इससे नीचे स्तर से एकता की सृष्टि हुयी। परिणाम स्वरूप बहुधा सभी ट्रेड यूनियनों जिसमें आई० एन० टी० यू० सी० के मजदूर शामिल हैं, की सम्मिलित कार्रवाइयां हुई। प्रत्येक राज्य में इस प्रकार सम्मिलित संघर्ष के अनेक उदाहरण हैं। जहाँ कहीं भी इन संयुक्त संघर्षों में हमलोग मजदूरों के जनतांत्रिक समितियों का जाल बिछाने में सफल हो सके वहाँ संघर्ष के दरम्यान संघर्ष को क्षति पहुचाने वाले कार्यों को रोका जा सका। हम बहुधा देखते हैं कि अन्य ट्रेड यूनियनों के नेता जब कभी संयुक्त संघर्ष के लिये आते भी हैं तो विस्तृत समितियों के गठन के लिये राजी नहीं होते। अधिकांश हालतों में हमारे कामरेड ऐसा प्रस्ताव हीं नहीं करते या जब कभी वे प्रस्ताव करते हैं तो दूसरे यूनियनों के नेता उसका विरोध करते हैं तो वे इस स्थिति को दुबककर मान जाते हैं और संयुक्त समितियों के गठन से, जिनमें विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि रहते हैं। संतुष्ट हो जाते हैं नहीं साथियों। विस्तृत समितियों के गठन के लिये उनके प्रतिरोध पर काबू पाना होगा। कोयम्बटूर टेक्स्टाइल मजदूरों की आम हड़ताल के समय हमलोग ऐसा करने में समर्थ हो गये और उससे अनुकूल शर्तों पर हड़ताल का समझौता कराने में सहायता मिली।

अगर हम उन्हें विस्तृत समितियों के गठन करने के लिये सहमत कराने में सफल न भी हों तो मजदूरों की जमात के सम्मुख अपने प्रस्ताव को ले जाने में क्या रुकावट है? अगर हम वैसा करें तो मुझे सन्देह नहीं कि

स्वयं मजदूर साथ आयेंगे और स्वयं भी समितियों का गठन करेंगे और कोई उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता।

द्वितीयतः, समझौता वार्ता के दरम्यान हरेक प्रगति की रिपोर्ट पूर्ण रूप से मजदूर समूह को देनी चाहिये। यह कौशल के साथ करना चाहिये; दूसरों की नीयत की ओर इंगित किये बिना ही केवल वस्तुस्थिति की रिपोर्ट होनी चाहिये। अन्यथा हम ऐसे व्यक्तियों को जो संयुक्त मोर्चे को भंग करना चाहते हैं ऐसा करने के लिये मौका प्रदान करेंगे। इस संबंध में मद्रास के सिम्प्सन मजदूरों का बड़ा संघर्ष प्रचुर अनुभव पूर्ण है। मजदूर समूह की सतर्कता से ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० के नेताओं की उनके साथ गद्दारी करने की चेष्टा विफल कर दी गयी।

तृतीयतः, जब इस प्रकार का संयुक्त संघर्ष हाथ में ले लिया जाता है और समझौता वार्ता शुरू होती है तो हम बहुधा पाते हैं कि दूसरी यूनियनें ऐसी शर्तों को मान लेती हैं जो हमें अमान्य होती हैं। अनेक मामलों में ऐसी परिस्थितियों में हमारे कामरेड अनिच्छापूर्वक उन शर्तों को मान लेते हैं और दूसरों के साथ इस गलत भ्रम में पड़कर कि हम अन्यथा 'विच्छिन्न' हो जायेंगे, अपनी दस्तखत कर देते हैं। यह हानिकारक है। हमें ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देना चाहिये और वस्तुस्थिति को मजदूरों के सम्मुख रखना चाहिये। हमारी निजी ताकत संघर्ष को जारी रखने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती और मजदूर समाज के मिजाज को देखते हुए हमें हड़ताल वापस करनी पड़ सकती है किन्तु हमलोगों का ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर न करना हमारे लिये अन्त में सहायक सिद्ध होगा। किसी-किसी मामले में इससे मजदूर समाज समझौते को नामंजूर कर सकता है और संघर्ष को चलाया जा सकता है। तामिलनाडु के टी प्लैण्टेशन वर्कर्स की हड़ताल में ठीक ऐसा ही हुआ। वहाँ आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी० और डी० एम० के० यूनियनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। उस समझौते के अनुसार मजदूरी में नाममात्र की वृद्धि की गयी थी। हमलोगों ने उसपर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। बाद में समझौता हमलोगों के द्वारा मजदूरों के सम्मुख उपस्थिति किया गया। वाल पराई के सम्पूर्ण मजदूरों ने इस समझौते को नामंजूर कर दिया। हड़ताल ३२ दिनों तक चली। इसने सरकार और मालिकों को यह समझौता रद्द करने के लिये और नया समझौता करने के लिये मजबूर किया। इस नये समझौते में पहले समझौते में की गई मजदूरी में वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि की गयी।

निम्न स्तर से एकता गढ़ने और संयुक्त संघर्षों के लिये अत्यन्त लचीली नीति की अवश्यकता होती है। हमलोगों के प्रचार और आन्दोलन छेड़ देने की वजह से बहुधा सुधारवादी यूनियनों के नेता हड़ताल के लिये आह्वान करने के लिये मजबूर हो जाते हैं किन्तु हमारे साथ संयुक्त समिति बनाने से इन्कार करते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरों के द्वारा हड़ताल के लिये आह्वान किये जाने पर हमें भी हड़ताल का आह्वान करना चाहिये ताकि कार्य रूप में यह संयुक्त हड़ताल बन जाय। इससे हमें मजदूरों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल के चटकल और इञ्जीनियरिंग मजदूरों की हड़ताल, कानपुर और राजस्थान के सूताकल के मजदूरों की हड़ताल इस सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव से भरे हैं।

सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारी यूनियनें, जो संघर्ष चला रही होती हैं, संघर्षों का पुनर्मूल्यांकण नहीं करती और अपने अनुभवों को सर्वसाधारण की सम्पत्ति नहीं बनने देती।

हमले का भयंकरता और मजदूरों की दृढ़ता

इस अवधि में हुए संघर्षों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे लम्बे रहे हैं। इसका कारण है : एक तरफ मालिक और सरकार संकट का बोझ मजदूरों और कर्मचारियों पर लादने के लिये कृत संकल्प है और दूसरी ओर मजदूर प्रतिरोध करने के लिये, और अधिक से अधिक बलिदान करने के लिये, सकान रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ है। जिस अतिभयकर स्थिति में वे डाल दिये जाते हैं उसीका यह पणिाम है।

एकजुटता के संघर्ष

ऐसी परिस्थितियों में एकजुटता के संघर्षों का बहुत बड़ा महत्व है। सिम्प्सन वर्करों के संङर्ष को जीता नहीं जा सकता था। अगर यदि राज्यव्यापी भाईचारे की कार्यवाइयाँ न की गयी होतीं। सभी मजदूरों की राज्यव्यापी आम हड़ताल के आह्वान ने ही सरकार को झुकने के लिये उस समय मजबूर किया, जब देखा कि सारे राज्य भर में मजदूर इस आह्वान पर हड़ताल करने जा रहे हैं।

इस अवधि में एकजुटता के संघर्ष इस अवधि में निश्चय ही हुए हैं। किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। हमलोगों का कार्य मजदूरों को यह बताना है कि मजदूरों

के किसी एक भाग पर हमला सारे मजदूर वर्ग पर हमला है। अगर वे हड़ताली मजदूरों को हारने देंगे तो इससे सरकार और मालिकों का साहस बढ़ेगा जिससे वे एक-एक करके मजदूरों के सभी भागों पर आक्रमण करेंगे। इसलिये मालिकों और सरकार की यह चाल सभी मजदूरों के संयुक्त संघर्ष से ही पराजित की जानी चाहिये।

इस दौर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, जहाँ कोई भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन नहीं है, वहाँ संघर्षों का स्वाभाविक रूप से अपने आप छिड़ जाना है। साथ ही यह भी विशेषता है कि मध्यम वर्ग के कर्मचारी कठिन लड़ाइयाँ लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं। यह निःसन्देह सत्य है कि इन संघर्षों को मजदूरवर्ग के संघर्ष से प्रेरणा मिली है। हम इससे ही संतुष्ट नहीं हो सकते कि मजदूरवर्ग के संघर्षों ने प्रेरणा दी है, हम लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि हम इन संघर्षों के समर्थन में मीटिंग, प्रदर्शन द्वारा तथा हड़ताल करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के पास डेपुटेशन ले जाकर उन्हें संगठित करें। जहाँ वे दमन का मुकाबिला कर रहे हों, वहाँ दमन के विरुद्ध मजदूरों की हड़ताल करायें। एकमात्र इसीसे ही मजदूर वर्ग और मध्यवित्त कर्मचारियों में एकता बढ़ेगी। यह सच है कि हमारे नेतागण उनकी मीटिंगों में जाते हैं, उन्हें अपना समर्थन देते हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह समर्थन हमारी यूनियनों के मजदूरों द्वारा प्रत्यक्ष शारीरिक समर्थन के रूप में कार्यान्वित होना चाहिये।

अर्ध-फासिस्ट आतंक के विरुद्ध संघर्ष तेज किया जाय

साथियो !

हमारी हर राज्य की यूनियनों ने पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग और जनवादी तबके के उन लोगों के प्रति, जो आज भी आतंक की चपेट में हैं अपना एकता-पूर्ण दृढ़ समर्थन दिया है। उनके लिये कुछ रुपये भी भेजे गये हैं, किन्तु यह बहुत ही कम है। हम यह न भूलें कि अर्धफासिस्ट आतंक जारी है। हमारी यूनियनों का अनेक क्षेत्रों में स्वच्छन्दतापूर्वक कार्य करना असम्भव कर दिया गया है। हम यह भी न भूलें कि हमारे हजारों साथी जेलखाने में सड़ रहे है। हमारी सभी राज्यों की यूनियनों का यह उत्तरदायित्व है कि वे दीर्घकालीन अभियान चलायें कि बिना मुकदमा चलाये जिन्हें नजरबन्द किया गया है उन्हें छोड़ा जाय। सभी झूठे मुकदमों को वापस लिया जाय। जबर्दस्ती दखल की गई यूनियनें वापस कर दी जांय और गुण्डों का आक्रमण रोका जाय। मजदूरों को यह महसूस करायें कि वर्ग-संघर्ष के तेज होने पर, जो आज बंगाल में हो

रहा है, वह हर राज्य में होगा तो, मजदूर इस अर्ध-फासिस्ट आतंक के अन्त करने की आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। ऐसी हालत में हमारा अभियान निरन्तर जारी रहेगा और देश भर में जोर पकड़ेगा तथा सरकार को मजबूर करेगा कि वह अपने कदम पीछे हटाये।

जनतांत्रिक कार्य-विधि को विस्तृत किया जाय

हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता यह है कि हमारे कामरेड संघर्ष तो प्रारम्भ करते हैं, अगली पंक्ति में खड़े होकर और घोर परिश्रम कर मजदूरों का विश्वास प्राप्त करते हैं, पर इन सबके बावजूद वे संगठन पर ध्यान नहीं देते। सदस्यता के लिये अनवरत अभियान नहीं चलाते। अगर ऐसा किया जाय, खास करके उस समय जब संघर्ष सफल हो गया हो, तो इसके अच्छे परिणाम होंगे। अभियान को सफल बनाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि विस्तृत पैमाने पर जनतान्त्रिक कार्य किये जांय। और इसके लिये यूनियनों के संविधान के अनुकूल यूनियनों की कार्यकारिणी समिति की नियमित बैठक की जाय।

नियम कायदे ही पर्याप्त नहीं हैं। यह औपचारिक जनतंत्र है। दूकान, विभाग और फैक्टरी के स्तर पर मजदूरों की समितियों का विस्तृत जाल, इनकी नियमित बैठकें, उन्हें अधिकाधिक मजदूरों को ट्रेड यूनियन के कार्य करने के हर दायरे में खींचकर लाने के लिये सक्रिय बनाना, किसी समस्या को लेकर विचार विमर्श करना, गलतियों को सुधारने के लिये नेतृत्व की आलोचना, संगठनात्मक कार्य में जैसे सदस्य बनाना, संघर्ष के लिये, मीटिंग के लिये, रैली के लिये मजदूरों को एकत्रित करना आदि नितान्त आवश्यक हैं। एक मात्र इसी तरह की विस्तारित जनतांत्रिक कार्यवाहियाँ मजदूरों की वर्ग चेतना को ऊँचा उठायेंगी; इसके बिना आनेवाली लड़ाइयाँ सफलतापूर्वक नहीं लड़ी जा सकती हैं।

सरकार की चाल असफल बनायी जा सकती है

आने वाला समय, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मालिक और सरकार के दृढतर हमले का समय है। किन्तु इस हमले को पराजित किया जा सकता है, बशर्ते हम दृढ़प्रतिज्ञ हो मजदूर वर्ग और जनता के बल पर भरोसा कर के कार्य कर। जैसा कि मैंने पहले ही अपनी रिपोर्ट से बताया है, मजदूरों द्वारा निकट अतीत में चलाये गये बड़े संघर्ष इस बात के निश्चित संकेत देते हैं कि

मजदूर वर्ग पर अधिकाधिक हमले की सरकारी नीति निर्विघ्न कार्यान्वित नहीं होने जा रही है। वृहत्तर लड़ाइयाँ सामने हैं।

सरकार सी० आइ० टी० यू० और अन्य लड़ाकू ट्रेडयूनियन संगठनों को जनता से विच्छिन्न करने की अपनी चेष्टा में सफल होने नहीं पायेगी यदि हम अपना संघर्ष और एकता बनाये रखें और खास कर के नीचे से एकता की नीति का अनुसरण करें। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमें विच्छिन्न करने की उनकी चेष्टा को गहरा धक्का लगा है। आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आइ० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० की नेशनल कौंसिल ऑफ ट्रेडयूनियन्स में पहले ही मतभेद हो चुका है। यद्यपि ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० ने प्रारम्भ में उस फारमूले को स्वीकारा था, जो यूनियनों को स्वीकृति प्रदान करने के लिये सदस्यता की प्रामाणिकता पर आधारित था। किन्तु परिस्थितियों से मजबूर होकर और संभवतः अपने दल के साधारण लोगों द्वारा विरोध होने की संभावना से उन्हें अपने द्वारा स्वीकारे गये फारमूले से पीछे हटना पड़ा। जनता के बढ़ते हुये असन्तोष, और मजदूरी के लिये छिड़े हुये संघर्ष के कारण वर्ग सहयोगवादी नेताओं के लिये भी यह आसान नहीं है कि वे सरकार का पूर्ण सहयोग करें। फलस्वरूप नेशनल कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स निष्क्रिय हो गई। वह मजदूरों को किसी प्रकार का आह्वान नहीं कर सकती। एकमात्र जो उन्होंने निर्णय लिया है, वह यह है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र को दृढ़ बनाने के लिये कृत संकल्प हैं।

इस परिस्थिति को लाने में हमलोगों की संघर्ष और एकता की नीति और अविचलित भाव से हमारे कार्यकर्त्ताओं द्वारा हमारी नीति का अनुसरण तथा देशव्यापी होने वाले संघर्षों ने महान भूमिका निभाई है। हमको उनकी इस अदा की गई भूमिका पर गर्व है।

ए० आई० टी० यू० सी० का नेतृत्व

साथियो !

आपने कलकत्ता में हुये ए० आ०ई टी० यू० सी० के अधिवेशन की कार्यवाहियों को देखा सुना होगा। आप सभी यह देख कर क्रुद्ध होंगे कि उन्होंने हमारे संगठन के विरुद्ध हुये राक्षसी दमन, अतीत में की गई हत्याओं, आतंक और हमारे आफिसों पर बलपूर्वक कब्जा के विरुद्ध प्रतिवाद का एक शब्द भी नहीं कहा है। नहीं, इसके विपरीत पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को जो इस आतंक की सृष्टि करने वाले हैं, आशीर्वाद देने के लिये बुलाया।

दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी का शासक दल से गठबन्धन, इसकी वर्ग सहयोगिता का दृष्टिकोण नेताओं को इस विश्वासघातपूर्ण कार्य में खींच लाता है। इस प्रकार ट्रेड यूनियन के मोर्चे पर उनकी नीति हमें छोड़ने की है हमारे विरुद्ध लड़ने की है। आप देखते हैं कि यह कुकर्म वे केरल में करते हैं जहाँ दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का मंत्रिमण्डल में नेतृत्व है और जहां सी० आई० टी० यू० और मजदूरों के खिलाफ अकथनीय दमन चक्र चलाते हैं।

इन सबके बावजूद ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम० एस० दोनों के नेताओं को निकट के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर बहुधा सुनिश्चत रुख अपनाना पड़ता है।

ए० आई० टी० यू० सी० और एच एम० एस० ने अपना रवैया बदला

आज ए० आई० टी० यू० सी और एच० एम० एस० दोनों स्पष्ट रूप से इस पक्ष में हैं कि यूनियनों को स्वीकृति गुप्त बैलेट द्वारा दी जाय और समझौता वार्ता में अल्पसंख्यतक यूनियनों को शामिल किया जाय। यह वही प्रस्ताव है जिसे हम लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल, मजदूरी वृद्धि पर रोक और आवश्यक रूप से पंच निर्णय की निन्दा की है।

इन प्रश्नों के अलावा वियतनाम के साथ एकता, अमरीकी खतरा, विदेशी और भारतीय इजारेदारों के विरुद्ध लड़ाई, ऊँची कीमतों के विरुद्ध संघर्ष, दुर्भिक्ष और कर ऐसे विषय हैं जहाँ संयुक्त कार्यवाही हो सकती है।

समाचार पत्रों की रिपोर्ट से लगता है कि एस० ए० डांगे ने १९७३ की फरवरी में, ए० आई० टी० यू० सी० के २९ वें अधिवेशन में सेक्रेटरियट की रिपोर्ट पर हुई बहस के जवाब में कहा था कि "ए० आई० टी० यू० सी० और सी० आई० टी० यू० की एकता मजदूर वर्ग के सम्मुख उपस्थित आम प्रश्नों को लेकर जिस पर हममें कोई मतभेद नहीं है, के मार्ग में यह विवाद कि इन्दिरागांधी प्रगतिशील हैं या प्रतिक्रियावादी, क्यों" उठाया जाय जबकि हमने यह हमेशा ही कहा है कि शासक वर्ग के आक्रमणों के विरुद्ध हम एक हो सकते हैं। एक होना चाहिये। यही कारण है कि हम ए० आई० टी यू० सी० के निमंत्रण पर १९७१ की १८,१९

मई को होने वाले सम्मेलन में बिना किसी हिचकिचाहट के भाग लिया था। यही कारण है कि हम प्रमुख प्रश्नों पर संयुक्त संघर्ष चलाने के लिये अनवरत कार्य करते हैं।

वास्तव में जब प्रेस वालों ने दिल्ली में इस सम्बन्ध में मेरी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो मैंने सकारात्मक उत्तर दिया। किन्तु डांगे की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।

सेक्रेटेरिएट की उसी रिपोर्ट में संयोजक मंडली के निष्क्रिय होने के प्रश्न की चर्चा करते समय जिस संयोजक मंडल का गठन १९७१ के सम्मेलन में हुआ था, यद्यपि ए० आई० टी० यू० सी० के नेताओं ने कहा है कि वे सी० आई० टी० यू० के साथ सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने ट्रेडयूनियन की एकता के ऊपर पूरा एक अध्याय ही लगाया है। उनके सभी विश्लेषणों के पश्चात् वह अध्याय इस प्रकार समाप्त होता है।

"ए० आई० टी० यू० सी० की राय में ये (ट्रेडयूनियन एकता) इस प्रकार होनी चाहिये।

(१) स्थानीय और उद्योग स्तर पर हुए संघर्षों में उन यूनियनों के साथ सब प्रकार की एकता जिनका प्रभाव उस संघर्ष से सम्बंधित लोगों में है।

(२) सभी स्तरों पर यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खास मसलों पर सब प्रकार की एकता।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वर्ग कार्य-नीति के मंच पर असंकीर्णतावादी, साम्प्रदायिकता विरोधी, प्रगतिशील यूनियनों के साथ एकता की नीति"

उपरोक्त नं ३ में उनके द्वारा कथित बात से यह स्पष्ट है कि वे आई० एन० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० और ए० आई० टी० यू० सी० की पूर्ण आपसी एकता की नीति का अनुसरण करना चाहते हैं। यह वे करें, यह उनका मामला है।

घोषणाओं को कार्यान्वित करें

जो कुछ भी हो, हम इस बात से प्रसन्न हैं कि परिस्थितियों से मजबूर होकर उन्होंने "सभी यूनियनों के साथ संघर्ष में स्थानीय और उद्योग स्तर पर एकता की इच्छा व्यक्त की है और सभी स्तर पर यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मसलों को लेकर हर प्रकार की एकता" की भी घोषणा की है। हम चाहते

हैं कि जनता की खुराक के रूप में ये केवल विशुद्ध घोषणा मात्र ही न रह जाँय। वरन् उन्हें व्यवहार में लाया जाय। इन घोषणाओं का वही भाग्य न हो जो १९७१ के मई सम्मेलन के निर्णयों का हुआ।

साथियो !

मुझे विश्वास है, आप सभी मेरे इस कथन से एकमत होंगे कि हम ए० आई० टी० यू० सी० और एच० एम०,एस० के साथ ही भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिये तैयार हैं; क्यों कि सरकार की यह नीति आज मजदूर वर्ग के सम्मुख सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ी है। क्या ए० आई० टी० यू० सी० इसका प्रत्युत्तर देगी और अपनी रिपोर्ट में की गई घोषणा, जो ऊपर उद्धृत है, की सच्चाई का प्रमाण देगी ? अगर वे ऐसा करें तो अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों से सलाह मशविरा कर सम्मिलित अभियान संगठन और संघर्ष की योजना बनाने के लिये सम्मेलन बुलाने का और तरीका निकाला जा सकता है।

हमें प्रसन्नता होगी अगर आई० एन० टी० यू० सी० भी इस अभियान में शामिल हो। क्योंकि इसने मजदूरी वृद्धि पर रोक हड़तालों पर प्रतिबन्ध और आवश्यक रूप से पंच निर्णय का विरोध किया है। इसने हाल के इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स इन दि पब्लिक सेक्टर पर हुये सेमिनार में ऐसा कहा था और स्वेच्छया पंचनिर्णय मानने की बात भी कही और इसका एक भाग इस विचार का हो रहा है कि स्वीकृति प्रदान करने के लिये गुप्त मतदान हो।

सरकार की सम्पूर्ण नीतियों के विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता

साथियो !

हमारी संघर्ष और एकता के लिये लड़ाई केवल इसलिये नहीं है कि मजदूर वर्ग के ऊपर आक्रमण की तात्कालिक समस्या के लिये संघर्ष चलायें; यद्यपि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आर्थिक परिस्थिति और योजना के दृष्टिकोण पत्र का विश्लेषण बताता है कि उनकी ये मजदूर वर्ग विरोधी नीतियाँ उनके सम्पूर्ण आर्थिक नीतियों का एक अंग हैं। यह साम्राज्यवादी इजारेदारों और जमीन्दारों से समझौता कर पूँजीवादी व्यवस्था बनाने की नीति से उत्पन्न होता है। उनकी जन विरोधी, जनतन्त्रविरोधी नीतियां दृष्टिकोण

पत्र में उल्लिखित हैं। उसे वे कार्यान्वित कर रहे हैं। केवल इसलिये वे ऐसा कर रहे हैं कि वे अपने को जिस संकट में डाल दिये हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता इस नीति का अनुसरण ही है।

हमें यह महसूस करना चाहिये कि, जब तक ये सारी नीतियाँ और यह सम्पूर्ण लाइन पराजित नहीं होती और हमलोगों की विकल्प लाइन का अनुसरण नहीं किया जाता, तब तक मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता की हालतों में सुधार नहीं हो सकता।

हमलोगों का तब महान कार्य यह है कि हम उनकी नीतियों को पराजित करें और हमारे द्वारा बताये गये विकल्प नीतियों के अनुसरण के लिये लड़ें।

ट्रेड युनियन का चेतना को वर्ग चेतना तक विकसित किया जाय

इसके लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम मजदूर वर्ग को सरकारी नीतियों के बारे में शिक्षित किया जाय और इन नीतियों के पराजित न किये जाने से उनके तथा देश के लिये उत्पन्न खतरे के बारे में सचेतन बनाया जाय। संघर्ष के प्रत्येक विषय सरकार की आधारभूत नीतियों और लाइन से सम्बन्धित होना चाहिये। ऐसे संघर्ष के दरम्यान निरन्तर करना चाहिये क्यों कि एकमात्र इसीसे मजदूरों की ट्रेडयूनियन की प्रारम्भिक चेतना का वास्तविक जीवन्त और स्फुरित वर्ग चेतना में रूपान्तर होगा। इससे हम सम्पूर्ण मजदूर वर्ग को पूंजीवादी विकास की नीतियों और लाइन के विरुद्ध लड़ने के लिये चला सकने में समर्थ होंगे।

यद्यपि मजदूर वर्ग को आधुनिक समाज में अपने स्थान के कारण इस संघर्ष में अगली पंक्ति में खड़ा हों पार्ट अदा करना है तो भी मजदूर वर्ग अकेले इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। अतः इसे देश के उन सभी भागों अंशों को संगठित एवं एकत्रित करना है जिनका स्वार्थ इन नीतियों के पराजित होने से बंधा हुआ है।

किसनों और खेतिहर मजदूरों के साथ एक हो

प्रथम हम जमींदार के शोषण के विरुद्ध खेतिहर मजदूर और किसानों के पक्ष का समर्थन करना चाहिये। मजदूर वर्ग काफी हद तक खेतिहर मजदूरों को संगठित करने में सहायक हो सकता है और जमीन्दारों के विरुद्ध लड़ने में उन्हें साहस दे सकता है। गत वर्ष कोयम्बदूर के-सूता और इन्जीनियरिंग के मजदूरों

ने अड़ोस पड़ोस के गांवों के खेतिहर मजदूरों को संगठित करने में महानभूमिका निभाई। थोड़े ही समय में एकगांव के बाद दूसरे गांव में ऊँची मजदूरी के लिये संघर्ष छिड़ गया और ऊँची मजदूरी मिली। इससे यह प्रगट होता है कि इस सम्बन्ध में मजदूर वर्ग क्या कर सकता है। और उसके द्वारा वे खेतिहर मजदूरों और परिश्रम करने वाले किसानों की एकता गढ़ सकते हैं।

बेकारों के साथ एक हो, उन्हें संगठित करो

दूसरे, बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त तीव्र है। सरकार और मालिकों को चालाकी की नीति यह है कि वे बेकारों को रोजगार में लगे मजदूरों के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाय। बेकारों की एक बहुत बड़ी सेना का अस्तित्व शासक वर्ग के हाथ में मजदूरों की मजदूरी घटाने और उनके जीवनमान को कम करने के लिये बहुत बड़ा अस्त्र है। हम इस विशाल बेरोजगारी की स्थिति के मुकदर्शक बने रहेंगे तो इसके परिणामस्वरूप अपने ऊपर बहुत बड़ा जोखिम आयगा। इसलिये हमको बेकारों को संगठित करना चाहिये। उनके लिये काम मांगना चाहिये। या उनके लिये बेरोजगारी भत्ता मांगना चाहिये। इस आन्दोलन को तभी बनाये रखा जा सकता है जब मजदूर बेकारी के समर्थन में सड़कों पर आ जाय।

कर नीति और मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ो

बढ़ती हुई कीमतें जनता के प्रत्येक अंश को प्रभावित करती हैं। मजदूर वर्ग, मंहगाई, भत्ता के लिये संघर्ष करने और कुछ मंहगाई भत्ता पा जाने मात्र से ही संतुष्ट नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि लिविंग इन्डक्स बेइमानी से तैयार किया जाता है और मंहगाई भत्ता वास्तविक मुल्य वृद्धि से हुई क्षति को किसी भी प्रकार पूरा नही कर सकता, चाहे मंहगाई भत्ता मूल्यवृद्धि को शत प्रतिशत नाकाम कर दे। इसलिये सम्पूर्ण लोगों को मूल्यवृद्धि, घाटे के बजट बनाने की नीति और अप्रत्यक्ष कर लगाने के विरुद्ध संगठित करना आवश्यक है। क्योंकि ये ही अति मूल्यवृद्धि के प्रमुख कारण हैं। ऐसा तभी किया जा सकता है जब हम संगठित मजदूर वर्ग को सड़कों पर उतरा हुआ पायें। इसी से जनता के सभी अंशों को प्रोत्साहन मिलेगा और लड़ाकू आन्दोलन संगठित हो सकेगा।

अंध राष्ट्रीयतावादी और बहकावे की कार्य-नीति के विरुद्ध लड़ो

शासन वर्ग संघर्ष की उठती हुई लहर को रोकने के लिये और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असमर्थ हो बहकाने वाली नीति अपनाता है। वे भाषा-राज्य और यहाँ तक कि क्षेत्र के नाम पर अंध राष्ट्रीयतावादी नारे और प्रचार की शरण लेते हैं। यह भलीभांति ज्ञात है कि उच्चपदस्थ कांग्रेसी नेताओं और मन्त्रियों से शिव सेना को प्रोत्साहन मिला। सरकार द्वारा आसाम में आसामी-बंगाली दंगे को भड़काया जाता है। आन्ध्र में तेलेगाना और आन्ध्र के लोगों के बीच भाई-भाई की हत्या करने के युद्ध की ज्वाला को प्रज्ज्वलित करने के लिये स्वयं सरकार जिम्मेवार है। यद्यपि दोनों एक ही भाषा बोलते हैं।

जाति और धार्मिक शत्रता के आधार पर हरिजन, आदिवासी और मुसलमान अल्पसंख्यकों के ऊपर आक्रमण किया जाता है। भाषा क्षेत्र, जाति समुदाय और धर्म के आधार पर मेहनतकश जनता की एकता को भंग करने की नीति के विरुद्ध डट कर लड़ना चाहिये। उत्पीड़कों और शोषकों के विरुद्ध उत्पीड़ितों और शोषित जनता की एकता तथा वर्ग के आधार पर एकता की अपनी लाइन से उसका मुकाबिला कर पराजित करना चाहिये; इस कार्य की अब और अवहेलना नहीं की जा सकती। अगर हम ऐसा किये तो इसका परिणाम पूरे मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक आन्दोलन के लिये विनाशकारी होगा।

एक दल की तानाशाही स्थापित करने का अभियान

शासक कांग्रस पार्टी अपने आक्रमणों को जनता पर लादने के लिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अर्ध-फासिस्ट आतंक और दूसरे राज्यों में घनघोर दमन का सहारा लेती है। किसी भी ओर से हो रहे विरोध को सहन करने में, अपने को असमर्थ पा एक पार्टी की तानाशाही स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। इस अभियान में इसने संसदीय जनतंत्र के सभी नियम कायदों को तिलांजलि दे दी है। मजदूर वर्ग निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता और सरकार को अपने प्रयत्न में सफल होने की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार को इस अभियान को रोकने के लिये इसे देश की सभी जनवादी शक्तियों को अवश्य संगठित एवं एकजुट करना चाहिए।

एक हो और विकल्पमंच के लिये लड़ो

हम इस सम्मेलन में सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये और निम्नलिखित बातों की प्राप्ति के लिये तमाम मजदूरवर्ग और मेहनतकश जनता की एकता के लिये आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा करें—

(१) मजदूरी वृद्धि पर रोक न हों; आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के लिये।

(२) इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कानून, जिसमें यूनियनों की स्वीकृति गुप्त मतदान द्वारा होने की व्यवस्था हो, हड़ताल पर कोई प्रतिबन्ध न हो। किसी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप न हो और विवादों को मिटाने के लिये दो दलीय समझौतावार्ता की व्यवस्था की जाय।

(३) पश्चिम बंगाल में अर्धफासिस्ट आतंक का अन्त, सभी नजरबन्दों और झूठे मुकदमे में जेल गये हुये सभी लोगों की रिहाई, नागरिक स्वतन्त्रता तथा जनतान्त्रिक और ट्रेडयूनियन के अधिकार के लिये।

(४) बेकारों को रोजगार या बेकारी भत्ता।

(५) जमीन्दारों से जो खेतों में काम नहीं करते उसकी सारी जमीन ले लेना तथा उस जमीन को खेतिहर मजूरों, गरीब किसानों विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों में बाँट देना।

(४) खेतिहर मजदूरों और असंगठित उद्योगों के मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी।

(७) राज्य द्वारा खाद्यान्न के थोक व्यापार को, खुले बाजार में बेचे जाने लायक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न को आवश्यक रूप से, जमीन्दारों और बड़े बड़े किसानों से ग्रहण कर अधिग्रहण करना तथा खाद्यान्न और उपभोग की आवश्यक सामग्रियों का उचित मूल्य पर वितरण।

(८) सभी विदेशी संस्थानों का अधिग्रहण तथा इजारेदार घरानों के सभी स्थानों का राष्ट्रीय करण।

(९) विदेशी ऋण का स्थगन और विदेशी इजारेदारों के साथ सहयोग समझौतों का खात्मा।

उपसंहार

साथियो !

जैसा मैंने जनरल कौंसिल की कोयम्बटूर की मीटिंग में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सी० आई० टी० यू० के स्थापित करने का निर्णय

सामयिक और सही सिद्ध हुआ है । अगर हमलोगों ने ऐसा न किया होता तो वर्ग-सहयोगवादी नेताओं के लिये बहार का दिन होता । किसी देश के इतिहास में तीन वर्ष और चार महीने का समय एक बहुत छोटी अवधि है । किन्तु इस अल्पकाल में ही सी० आई० टी० यू० का समी संघर्षरत और लड़ाकू मजदूरों के लिये पुर्नःएकीकरण विन्दु के रूप में अभ्युदय हुआ है ।

हमलोगों की एकता और संघर्ष की लाइन और इसे कार्यान्वित करने के लिये संघर्ष ने अनेक विजय प्राप्त की है । लाखों मजदूर और कर्मचारी सी० आई० टी० यू० को प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देखते हैं । हम लोगों के संगठन पर वे अपनी आशा जमाये हुये हैं, भले ही वे आज संगठनात्मक रूप से हमारे साथ न हों ।

हमारे वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने की लाइन और वर्ग सहयोग की लाइन के विरुद्ध लड़ने की लाइन की अग्रगति हुई है । जब कि वर्ग सहयोग की लाइन को आघात पहुँचा है वे आज परेशानी में हैं ।

भविष्य में बड़ी-बड़ी संभावनाय हैं, इन्दिरा गांधी अब अपने लुभावने नारों से जनता को मुग्ध नहीं कर सकतीं क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है । वे 'गरीबी हटाओ' की बात कहती हैं और 'गरीबी बढ़ाओ' का कार्य करती है । वे इजारेदारों से लड़ने की बात कहती हैं और कार्य रूपमें इजारेदारों को मोटा बनाती हैं । इन्होंने आत्म-निर्भरता की बात कही थी, उनका कार्य पर-निर्भरता का है ।

इसलिये जीवन के अनुभव अधिक से अधिक लोगों को जबर्दस्त संघर्ष करने के लिये सड़कों पर उतारेंगे । अगर हम उपरोक्त कार्यों को पूरा कर लें तो हम इस लड़ने वाली जनता को और उनके संघर्षों को सही दिशा देंगे ।

एक बार अगर जनता उन दिशाओं को चेतना में बैठा ले जिस दिशा में चलना है और एक सूत्र में बंधना है तो वे अपने भाग्य के विधाता बन जायेंगे और इस महान कार्य में मजदूर वर्ग को सबसे बड़ी भूमिका निभानी है जैसा कि मार्क्स ने कहा था "हमारे लिये केवल एक मार्ग खुला है । हमने सामाजिक क्रान्ति के लिये चालक के रूप में, बुर्जुआजी और सर्वहारा के बीच ४० वर्षों से वर्ग संघर्ष पर बल दिया है ।"

वर्ग संघर्ष में अपने दृढ़ विश्वास के साथ, जिसको, सी० आई० टी० यू० की स्थापना के बाद के समय से हुए अनुभव से पुनः बल मिला है, हम इस

लाइन का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करेंगे, चाहे किसी भी तरह की कठिनाई आये या किसी तरह के कष्टों या संकटों से हमें गुजरना पड़े। हमें चाहे शासकवर्ग के किसी भी प्रकार के दमन और आतंक का सामना करना पड़े हम इस पथ से विचलित नहीं होंगे।

हर स्तर पर संयुक्त संघर्ष के लिये आगे बढ़ो।

भारतीय मजदूर वर्ग की एकता के लिये आगे बढ़ो।

मजदूर वर्ग की किसानों, खेतिहर मजदूरों और सभी मेहनतकश जनता के साथ एकता के लिये आगे बढ़ो।

सी० आई० टी० यू० जिन्दाबाद।
इन्कलाब जिन्दाबाद।